bjpkamaljyoti@gmail.com www.up.bjp.org संवत 2080 युगाब्द 5125 कुल पृष्ठ –32 मार्च द्वितीय – 16

वर्तमान
कमल ज्योति

एक भारत, श्रेष्ठ भारत

₹20

राप्ति नगर विस्तार एवं स्पोर्ट्स परियोजना का शुभारम्भ, गोरखपुर

विकास परियोजना लोकार्पण/शिलान्यास, मुरादाबाद

प्रवासी भारतीयों द्वारा राम जन्मभूमि दर्शन, स्वागत

सोशल मीडिया कार्यशाला, लखनऊ

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री भूपेन्द्र सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध/कार्यकारी सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

www.up.bjp.org
bjpkamaljyoti
bjpkamaljyoti
@bjpkamaljyoti

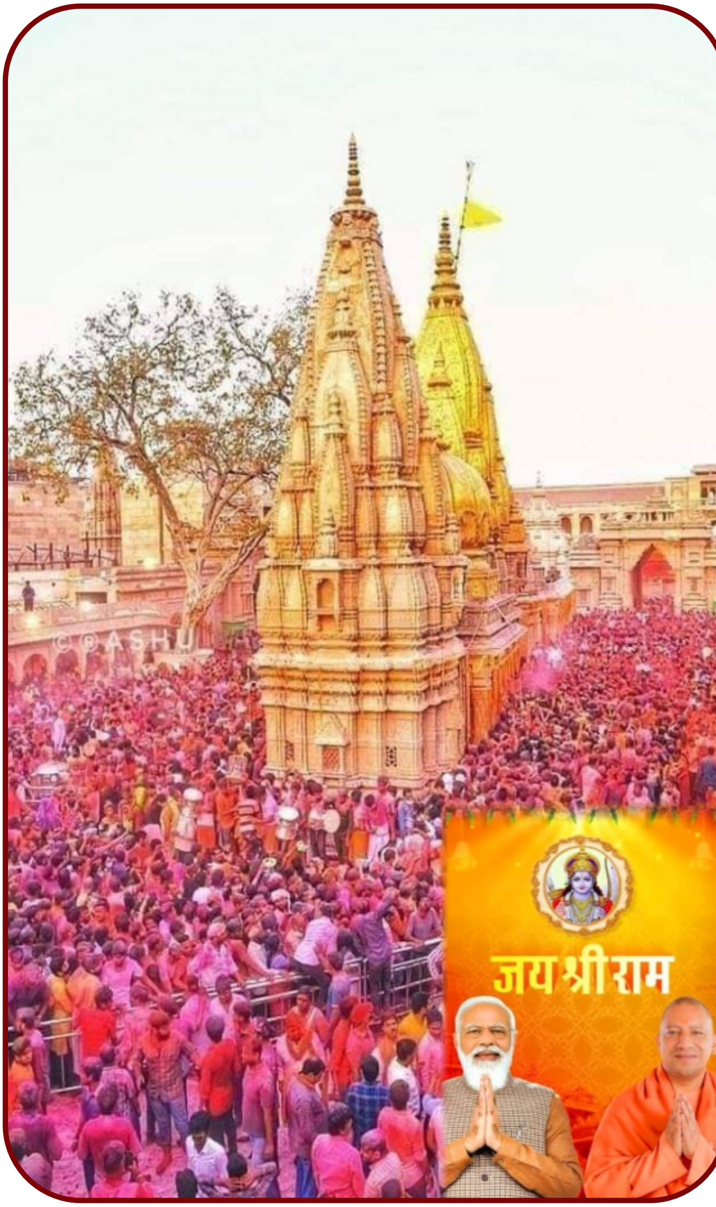

होली, नवसंवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं

लोकतंत्र का महापर्व "मतदान अवश्य करें"

विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत जहाँ से लोकतंत्र का उदय हुआ। वहां चुनाव है, लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जो नागरिकों को वोट देने और अपनी पसंद की सरकार का चुनाव करने की अनुमति देती है। भारत 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया था। भारतीय लोकतंत्र अपने नागरिकों को जाति, रंग, पंथ, धर्म और लिंग आदि पर ध्यान न देकर अपनी पसंद से वोट देने का अधिकार देता है। इसके पांच लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं – संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गणराज्य। विभिन्न राजनीतिक दल राज्य के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर समय–समय पर चुनाव के लिए खड़े होते हैं। चुनाव से पहले वे अपने पिछले कार्यकाल में पूरे किए गए कार्यों के बारे में प्रचार करते हैं तथा लोगों के साथ उनकी भविष्य की योजना भी साझा करते हैं। जिसे समर्थन प्रचार कहा गया।

संविधान के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक आयु के हर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है। सरकार भी मतदान के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को वोट देने से पहले चुनाव के लिए खड़े उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ जानना चाहिए और अच्छे प्रशासन के लिए सबसे योग्य व्यक्ति को वोट देना चाहिए। भारत एक सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। हालांकि अभी भी कुछ कमियां हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। सरकार को सही मायने में लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए गरीबी, निरक्षरता, सांप्रदायिकता, लिंग भेदभाव और जातिवाद को समाप्त करने पर काम करना है। लोकतंत्र को सरकार का सबसे अच्छा रूप कहा जाता है। यह देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने और उनकी जाति, रंग, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं का चयन करने की अनुमति देता है। सरकार देश के आम लोगों द्वारा चुनी जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि यह उनकी बुद्धि और जागरूकता है जिससे वे सरकार की सफलता या विफलता निर्धारित करते हैं।

सम्पादकीय

इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक है। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत जितने अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, उनमें सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। इस अधिकार को पाकर हम मतदाता कहलाते हैं। वही मतदाता जिसके पास यह ताकत है कि वो सरकार बना सकता है, सरकार गिरा सकता है और तो और स्वयं सरकार बन भी सकता हैं। बिना कर्तव्य निभाए अधिकारों की बात नहीं की जा सकती, किसी भी सरकार से सवाल का अधिकार ही तब है जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं हम ऐसे नेता को चुनें जो आम आदमी के हित में कार्य करे। शत प्रतिशत मतदान से ही लोकतंत्र को हम सही दिशा दे पाएगे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करना आवश्यक है शत प्रतिशत मतदान, लोकतंत्र की जान है।

इस बात को आम जन समझ लेगा तो लोकतंत्र में सरकारें निष्ठा और सेवा की भावनाएं समझकर ही जन्म लेंगी। लेकिन डाला गया हर मत आशा और विश्वास का प्रतीक होता है जिसे हम उम्मीदवारी में व्यक्त करते हैं जिसके बारे में हम मानते हैं कि वह एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लोकतंत्र में अपना मत न डालना अपनी जिम्मेदारी से भागना हो सकता है। मतदान केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। मतदान एक आध्यात्मिक कृत्य है क्योंकि उन व्यक्तियों पर अपनी राय व्यक्त करने के विकल्प का उपयोग करके, जिनको शासन की शक्तियों को ग्रहण करना चाहिए, आप अच्छे विश्वास में ऐसे व्यक्ति को आपके और दूसरों के जीवन को बदलने की शक्ति से संपन्न कर रहे हैं। लोकतंत्र का अंतिम औचित्य इस बात में है कि यह नागरिकों के मन में कुछ विशेष प्रवृत्तियां उत्पन्न करता है। इसमें मन स्वतंत्रतापूर्वक विचार करता है, व्यक्ति सार्वजानिक कार्यों के बारे में सोचता है, उनमें रूचि लेता है, परस्पर चर्चा करता है, उसमें दूसरों के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न होती है तथा समाज के प्रति उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। कार्य करने के स्वतंत्रता के कारण यह व्यक्ति के चरित्र के अनेक गुणों का विकास करता है।

राजनीति में सुचिता, सामाजिक, राष्ट्रीय मूल्यों का अभाव दिखता है। जातिवाद, भ्रष्टाचार, धनबल, बाहुबल लोगों को कुछ मात्रा में प्रभावित करते हैं। चुनाव में राजनैतिक दलों का व्यय बढ़ता जा रहा है। वर्तमान सरकार चुनाव पद्धति, व्यय आदि पर गम्भीरता से विचार कर रही है। एक देश, एक चुनाव का प्रस्ताव भी आया है। लेकिन इसके लिए योग्य प्रभावी सरकार का आना आवश्यक है इसलिए राष्ट्रहित में अपनी नागरिक भूमिका का निर्वहन करते हुए हम मतदान अवश्य करें।

bjpkamaljyoti@gmail.com

सत्यमेव जयते
प्रधान मंत्री
Prime Minister

मोदी जी की पाती

मेरे प्रिय परिवारजन,

आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है।

मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुश्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई–बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं–बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं, क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ था।

प्रधान मंत्री
Prime Minister
नई दिल्ली
फाल्गुन 25, शक संवत् 1945
15 मार्च, 2024

विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरूत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है।

यह आपका विश्वास और समर्थन ही था कि जीसटी लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, तीन तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नये संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं।

लोकतंत्र की खूबसूरती जनभागीदारी और जनसहयोग में है। देशहित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लाबू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही हे। विकसित भार के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्रनिर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रूके अनवरत जारी रहेंगे, यह मोदी की गारंटी है।

आपके उज्ज्वल भविश्य की कामना के साथ।

आपका,

(नरेन्द्र मोदी)

''पी०एम० स्वनिधि योजना'' गरीबी से मुकाबला

आज का ये, पीएम स्वनिधि महोत्सव, उन लोगों को समर्पित है जो हमारे आसपास तो रहते ही हैं और जिनके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। और कोविड के समय सबने देख लिया कि रेहड़ी–पटरी वालों की ताकत क्या होती है। हमारे रेहड़ी–पटरी वाले, ठेले वाले, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले ऐसे हर साथी का मैं आज इस उत्सव में हृदय से बहुत–बहुत अभिनंदन करता हूं। आज देश के कोनेदृकोने से जो साथी जुड़े हैं, उनको भी इस पीएम स्वनिधि का एक विशेष लाभ आज एक लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और सोने में सुहागा है, आज यहां, दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उसके विस्तार का शिलान्यास हुआ है। ये दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफ़ा है। मैं आप सभी लोगों को बहुत–बहुत बधाई देता हूं।

हमारे देशभर के शहरों में बहुत बड़ी संख्या में रेहड़ी–फुटपाथ पर, ठेले पर लाखों साथी काम करते हैं। ये वो साथी हैं, जो आज यहां मौजूद हैं। जो स्वाभिमान से मेहनत करके अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं। इनके ठेले, इनकी दुकान भले छोटी हो, लेकिन इनके सपने छोटे नहीं होते हैं, इनके सपने भी बड़े होते हैं। अतीत में पहले की सरकारों ने इन साथियों की सुध तक नहीं ली। इनको अपमान सहना पड़ता था, ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। फुटपाथ पर सामान बेचते हुए पैसे की जरूरत पड़ जाती थी, तो मजबूरी में महंगे ब्याज़ पर पैसा लेना पड़ता था। और लौटाने में अगर कुछ दिन की देरी हो गई, अरे कुछ घंटे की देरी हो गई तो अपमान के साथ–साथ ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ता था। और बैंकों में खाते तक नहीं थे, बैंकों में प्रवेश ही नहीं हो पाता था, तो लोन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाता खुलवाने तक के लिए भी अगर कोई पहुंच भी गया तो भांति–भांति की गारंटी उसको देनी पड़ती थी। और ऐसे में बैंक से लोन मिलना भी असंभव ही था। जिनके पास बैंक खाता था, उनके पास व्यापार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। इतनी सारी समस्याओं के बीच कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े सपने हो लेकिन आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकता है? आप साथी मुझे बताइए, मैं जो वर्णन कर रहा हूं क्या ऐसी समस्याएं आपको थीं कि नहीं थी? सबको थी? पहले की सरकार ने आपकी ये समस्याएं न सुनी, न समझीं, न समस्या का समाधान करने के लिए कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जीकर के आया हूं। और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा, उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई–बहन को भी अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कीजिए मोदी आपकी गारंटी लेता है, और मैंने आपकी गारंटी ली। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैंने बड़े–बड़े लोगों की बेईमानी को भी देखा है और छोटे–छोटे लोगों की ईमानदारी को भी देखा है। पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है, जो आज रेहड़ी, पटरी, ठेले, ऐसे छोटे–छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है। मोदी ने तय किया कि इनको बैंकों से सस्ता ऋण मिले, और मोदी की गारंटी पर लोन मिले। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहले, पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10 हज़ार रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद आपको 20 हजार की ऑफर करता है। और ये पैसा भी समय पर चुकाने पर, और डिजिटल लेन–देन करने पर 50 हजार रुपए तक की मदद बैंकों से सुनिश्चित हो जाती है। और आज आपने यहां देखा, कुछ लोग वो थे जिनको 50 हजार वाली किस्त मिली है। यानि छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली है। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11 हज़ार करोड़ रुपए मिल चुके हैं। से आंकड़ा छोटा नहीं है, रेहड़ी–पटरी वाले भाई–बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11 हजार करोड़ रुपए उनके

हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है, समय पर पैसे वो लौटाते हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताए–बहनें हैं।

कोरोना के समय में जब सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की थी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कितनी बड़ी योजना बनने जा रही है। तब कुछ लोग कहते थे कि इस योजना से कुछ खास फायदा नहीं होगा। लेकिन पीएम स्वनिधि योजना को लेकर हाल में जो स्टडी आई है, वो ऐसे लोगों की आंखें खोल देने वाली है। स्वनिधि योजना की वजह से रेहड़ी–फुटपाथ–ठेले पर काम करने वालों की कमाई काफी बढ़ गई है। खरीद–बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से आप सभी को मदद मिलने में भी आसानी हो गई है। यही नहीं, डिजिटल लेन–देन करने पर इन साथियों को साल में 1200 रुपए तक का कैशबैक भी मिलता है। यानि एक प्रकार का प्राइज मिलता है, ईनाम मिलता है।

रेहड़ी–फुटपाथ–ठेले पर काम करने वाले आप जैसे लाखों परिवारों के लोग शहरों में बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते रहे हैं। आप में से ज्यादातर, अपने गांवों से आकर शहरों में ये काम करते हैं। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, ये सिर्फ बैंकों से जोड़ने का कार्यक्रम भर नहीं है। इसके लाभार्थियों को सरकार की दूसरी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिल रहा है। आप जैसे सभी साथियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और मुफ्त गैस कनेक्शन की सुविधा मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि कामकाजी साथियों के लिए शहरों में नया राशन कार्ड बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी। मोदी ने आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसलिए, एक देश एक राशन कार्ड, One Nation One Ration Card, योजना बनाई गई है। अब एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं पर भी राशन मिल जाता है।

रेहड़ी–फुटपाथ–ठेले पर काम करने वाले ज्यादातर साथी झुग्गियों में रहते हैं। मोदी ने इसकी भी चिंता की है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं, इनमें से करीब एक करोड़ घर शहरी गरीबों को मिल चुके हैं। देश के अलग–अलग शहरों में इसका बड़ा लाभ गरीबों को मिल रहा है। भारत सरकार राजधानी दिल्ली में भी झुग्गियों की जगह पक्के आवास देने का बड़ा अभियान चला रही है। दिल्ली में 3 हज़ार से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, और साढ़े 3 हज़ार से अधिक घर जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों के रेगुलराइजेशन का काम भी तेज़ी से पूरा किया जा रहा है। हाल में भारत सरकार ने पीएम सूर्यघर– मुफ्त बिजली योजना भी शुरु की है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद देगी। इससे 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। बाकी बिजली, सरकार को बेचकर कमाई भी होगी। सरकार इस योजना पर 75 हजार करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है।

केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। एक तरफ हमने शहरी गरीबों के लिए पक्के घर बनाए, तो मध्यम वर्ग के परिवारों का घर बनाने के लिए भी मदद की। देशभर में मिडिल क्लास के लगभग 20 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए करीब 50 हज़ार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। हम देश के शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ईमानदारी से जुटे हुए हैं। इसके लिए देश के दर्जनों शहरों में मेट्रो सुविधा पर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली मेट्रो का दायरा भी 10 साल में करीब–करीब दोगुना हो चुका है। दिल्ली जितना बड़ा मेट्रो नेटवर्क, दुनिया के गिन–चुने देशों में है। बल्कि अब तो दिल्ली–NCR, नमो भारत, जैसे रैपिड रेल नेटवर्क से भी जुड़ रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में एक हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलवाई हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो एक्सप्रेस–वे हमने बनाए हैं, उससे भी ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या कम हो रही है। कुछ दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेस–वे का भी लोकार्पण हुआ है। इससे दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी का जीवन आसान होगा।

भाजपा सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि गरीब और मिडिल क्लास के युवा, खेलकूद में आगे बढ़ें। इसके लिए बीते 10 वर्षों में हमने हर स्तर पर माहौल बनाया है। खेलो इंडिया योजना से देशभर में सामान्य परिवारों के वो बेट–बेटियां भी आगे आ रहे हैं, जिन्हें पहले अवसर मिलना असंभव था। आज उनके घर के आसपास ही अच्छी खेल सुविधाएं बन रही हैं, सरकार उनकी ट्रेनिंग के लिए मदद दे रही है। इसलिए, मेरे गरीब परिवार से निकले खिलाड़ी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं।

मोदी, गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ, इंडी गठबंधन है, जो मोदी को दिन–रात गालियां देने के घोषणापत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। ये जो इंडी गठबंधन है, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा है, कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है– जनकल्याण से राष्ट्रकल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण को जड़ से मिटाने की, और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। ये कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। मोदी के लिए तो देश का हर परिवार, अपना परिवार है। और इसलिए आज पूरा देश भी कह रहा है– मैं हूं, मोदी का परिवार ! देश के सामान्य मानवी के सपने और मोदी के संकल्प, यही साझेदारी, शानदार भविष्य की गारंटी है।

वंचित वर्ग के विकास बिना, भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता

आज दलित, पिछड़े और वंचित समाज के कल्याण की दिशा में देश एक और बड़े अवसर का साक्षी बन रहा है। जब वंचितों को वरीयता की भावना हो तो कैसे काम होता है, वो इस आयोजन में दिखाई दे रहा है। आज वंचित वर्ग से जुड़े 1 लाख लाभार्थियों के खाते में 720 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधी–सीधी उनके बैंक एकाउंट में भेजी गई है। ये लाभार्थी 500 से ज्यादा जिलों में उपस्थित हैं। पहले की सरकारों में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था कि इधर बटन दबाया और उधर पैसे गरीबों के बैंक खातों में पहुंच गए। लेकिन ये मोदी की सरकार है ! गरीब के हक का पैसा, सीधा उसके बैंक खाते में पहुंचता है ! अभी मैंने सूरज पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके जरिए वंचित समुदाय के लोगों को अब सीधे आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यानी, भारत सरकार की दूसरी योजनाओं की तरह ही विभिन्न अन्य योजनाओं का पैसा भी सीधे आपके खाते में पहुंचेगा। न कोई बीच का बिचौलिया, न कट न कमीशन और न ही किसी सिफारिश के लिए चक्कर काटने की जरूरत !

कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले हमारे सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आज पीपीई किट्स और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन्हें और इनके परिवार को अब 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हो गया है। ये लाभकारी योजनाएं उस सेवा अभियान का ही विस्तार है, जो हमारी सरकार 10 वर्षों से SC&ST और OBC और अन्य वंचित समाज के लिए चला रही है। मैं आप सभी को, और देशभर के सभी लाभार्थियों को इन योजनाओं के लिए बधाई देता हूं।

थोड़ी देर पहले मुझे कुछ लाभार्थियों से बात करने का अवसर भी मिला है। सरकार की योजनाएं किस तरह दलित, वंचित और पिछड़ा समाज तक पहुंच रही हैं, इन योजनाओं से किस तरह इनका जीवन बदल रहा है, ये सकारात्मक बदलाव मन को भी सुकून देता है, और व्यक्तिगत तौर पर मुझे भावुक भी करता है। मैं आप सबसे अलग नहीं हूं, मैं आप में ही अपना परिवार देखता हूं। इसीलिए, जब मुझे विपक्ष के लोग गाली देते हैं, जब ये लोग कहते हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, तो मुझे सबसे पहले आपकी ही याद आती है। जिसके पास आप जैसे भाई–बहन हैं, उसे कोई कैसे कह सकता है कि उसका कोई परिवार नहीं है। मेरे पास तो आप सबके रूप में करोड़ों दलितों, वंचितों और देशवासियों का परिवार है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं जब आप कहते हैं कि 'मैं हूं मोदी का परिवार'। हमने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है और जो वर्ग दशकों तक वंचित रहा, उसके विकास के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता है। कांग्रेस की सरकारों ने देश के विकास में वंचित वर्ग के महत्व को कभी समझा ही नहीं था, उनको परवाह ही नहीं थी। इन लोगों को कांग्रेस ने हमेशा सुविधाओं से वंचित रखा गया। देश के करोड़ों लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया और दुर्भाग्य देखिए, ऐसा एक माहौल बन गया कि भई ये योजनाएं ये लाभ, ये जीवन तो उनके लिए है। हमारे लिए तो वही, हमें तो ऐसे ही मुसीबतों में जीना है, ये मानसिकता बन गई और इसके कारण सरकारों के खिलाफ शिकायत भी नहीं रही। मैंने उस मानसिक दीवार को तोड़ दिया है। अगर आज अच्छे घरों में गैस का चूल्हा होगा तो वंचित के घर में भी गैस का चूल्हा होगा। अगर अच्छे–अच्छे परिवारों के बैंक के खाते होंगे तो गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, आदिवासी का, उसका भी बैंक खाता होगा। इस वर्ग की कई पीढ़ियों ने अपना जीवन मूलभूत सुविधाएं जुटाने में ही गंवा दिया। 2014 में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के विजन के साथ काम करना शुरू किया। जिन लोगों ने सरकार से उम्मीद छोड़ दी थी, सरकार उनके पास पहुंची और देश के विकास में उन्हें भागीदार बनाया।

आप याद करिए साथियों, कितनी मुश्किल होती थी पहले राशन की दुकान से राशन पाने में, और ये मुसीबत कौन झेल रहा था, वो कौन लोग थे जिन्हें सबसे ज्यादा मुश्किल होती थी? ये मुसीबत झेलने वाले या तो हमारे दलित भाई–बहन होते थे, या हमारे पिछड़े भाई–बहन होते थे, या हमारे ओबीसी भाई–बहन होते थे या हमारे आदिवासी भाई–बहन होते थे। आज जब हम 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देते हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ जो हाशिए पर जिंदगी गुजारते थे, जो वंचित समाज है, उन्हीं को मिलता है।

आज जब हम 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की गारंटी देते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या में इन्हीं भाइयों बहनों का जीवन

बचता है, उन्हीं को मुसीबत में काम आता है। छप्पर, झोपड़ी और खुले में रहने को मजबूर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा परिवारों की संख्या ही सबसे ज्यादा है देश में क्योंकि भूतकाल में इन लोगों की किसी ने परवाह नहीं की। मोदी ने दस वर्षों में करोड़ों पक्के मकान गरीबों को लिए बनाए हैं। मोदी ने करोड़ों घरों में शौचालय बनवाए। वो कौन परिवार थे जिनकी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था? ये ही समाज सबसे ज्यादा ये पीड़ा भुगतता था। जो हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, वंचित परिवार इनकी महिलाओं को ही सहना पड़ता था। आज उन्हें इज्जतघर मिला है, उन्हें उनका सम्मान मिला है।

आप भी जानते हैं कि गैस का चूल्हा पहले किन घरों में होता था। गैस का चूल्हा किसके पास नहीं होता था, सबको पता है। मोदी ने उज्ज्वला योजना चलाकर मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। ये मुफ्त गैस कनेक्शन मोदी जो लाया वो किसको मिला? आप सभी मेरे वंचित भाई–बहनों को मिला है। आज मेरे वंचित वर्ग की माताओं बहनों को भी लकड़ी के धुएं से आज़ादी मिली है। अब हम इन योजनाओं में सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं मतलब शत–प्रतिशत। अगर सौ लोगों को लाभ मिलना चाहिए तो सौ के सौ को मिलना ही चाहिए।

देश में बड़ी संख्या में घुमंतू और अर्ध–घुमंतू समुदाय के लोग भी हैं, उनके कल्याण के लिए भी तो कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नमस्ते योजना के जरिए सफाई कर्मचारी भाई–बहनों का जीवन बेहतर हो रहा है। हम मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने में भी सफल हो रहे हैं। हम इस दंश को झेलने वाले लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था भी बना रहे हैं। इस प्रयास के तहत लगभग 60 हजार लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है। SC&ST, OBC वंचित वर्ग को आगे लाने के लिए हमारी सरकार, हर तरह से प्रयास कर रही है। विभिन्न संस्थाओं से वंचित वर्ग को जो मदद मिलती है, इन 10 वर्षों में हमने उसे दोगुना किया है। अकेले इसी साल सरकार ने SC समाज के कल्याण के लिए करीब 1 लाख 60 हजार करोड़ रुपए दिये हैं। पिछली सरकार में लाखों करोड़ रुपए केवल घोटालों के नाम से सुनने में आते थे। हमारी सरकार ये पैसा दलित, वंचित के कल्याण के लिए, और देश के निर्माण के लिए खर्च कर रही है।

SC&ST और OBC समाज के युवाओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति, यानी स्कॉलरशिप को भी बढ़ाया गया है। हमारी सरकार ने मेडिकल की सीटों में ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को लागू किया। हमने NEET की परीक्षा में भी ओबीसी के लिए रास्ता बनाया। वंचित समुदाय के जो बच्चे विदेश जाकर मास्टर और पीएचडी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उन्हें नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप से मदद मिल रही है। साइंस से जुड़े विषयों में पीएचडी करने वाले छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए नेशनल फेलोशिप की राशि भी बढ़ाई गई है। हमें इस बात का संतोष है कि हमारे प्रयासों से नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास को संवैधानिक दर्जा मिला है। हम इसे भी अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमें बाबासाहेब आंबेडकर के जीवन से जुड़े पंच तीर्थों के विकास का अवसर मिला है।

वंचित वर्गो के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार को भी भाजपा सरकार प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार की मुद्रा योजना के तहत गरीबों को करीब 30 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये मदद पाने वाले ज्यादातर युवा एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के ही हैं। स्टैंडअप इंडिया योजना से SC और ST वर्ग में entrepreneurship को बढ़ावा मिला है। इस वर्ग को हमारे Venture Capital Fund Scheme से भी मदद मिली है। दलितों में Entrepreneurship को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन और इन्क्यूबेशन मिशन भी लॉन्च किया है।

हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ दलित, आदिवासी, ओबीसी या हमारे यहां हाशिए पर हैं, वंचित समाज है, उनको ही मिला है। लेकिन मोदी जब दलित, वंचित समाज की सेवा के लिए कुछ भी करता है, तो ये इंडी गठबंधन वाले लोग सबसे ज्यादा चिढ़ जाते हैं। कांग्रेस वाले कभी नहीं चाहते कि दलितों–पिछड़ों–आदिवासियों का जीवन आसान बने। वो तो आपको बस तरसाकर ही रखना चाहते हैं।

हमारी सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ दलित, आदिवासी, ओबीसी या हमारे यहां हाशिए पर हैं, वंचित समाज है, उनको ही मिला है।

ये लोग सामाजिक न्याय का नारा देकर समाज को जातियों में तोड़ने का काम तो करते हैं, लेकिन असली सामाजिक न्याय का विरोध करते हैं। अपने परिवार के लोगों को तो ये लोग खुद भारत रत्न देते थे। लेकिन, बाबा साहब को इन्होंने कई दशक तक भारत रत्न नहीं मिलने दिया था। उन्हें ये सम्मान भाजपा के समर्थन वाली सरकार ने दिया।

ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद जी और आदिवासी समाज से आने वाली महिला, बहन द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनें। इन्हें चुनाव हरवाने के लिए इंडी गठबंधन के लोगों ने एड़ी–चोटी का जोर लगा दिया था। शीर्ष पदों पर वंचित वर्ग के लोग पहुंचे, इसके लिए भाजपा का प्रयास जारी रहेगा। ये वंचितों को सम्मान और न्याय दिलाने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

मोदी आपको ये गारंटी देता है, आने वाले 5 वर्षों में वंचित वर्ग के विकास और सम्मान का ये अभियान और तेज होगा। आपके विकास से हम विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे।

‘भारत शक्ति अभ्यास’

आज यहां हमने जो दृश्य देखा, अपनी तीनों सेनाओं का जो पराक्रम देखा, वो अद्‌भुत है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता ये विजयघोष, ये नए भारत का आह्वान है। आज हमारा पोखरण, एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत का आत्मविश्वास और भारत का आत्मगौरव इस त्रिवेणी का साक्षी बना है। यही पोखरण है, जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव, शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है।

कल ही भारत ने MIRV आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस, लंबी दूरी की क्षमता वाली अग्नि–5 मिसाइल का परीक्षण किया है। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक और बड़ी उड़ान है।

विकसित भारत की कल्पना, आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। भारत को विकसित होना है, तो हमें दूसरों पर अपनी निर्भरता को कम करना ही होगा और इसलिए आज भारत, खाने के तेल से लेकर आधुनिक लड़ाकू विमान तक, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है। आज का ये आयोजन, इसी संकल्प का हिस्सा है। आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाज़ों, हेलिकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, ये जो गर्जना आप देख रहे हैं– यही तो भारत शक्ति है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, सायबर और स्पेस तक, हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं– यही तो भारत शक्ति है। हमारे pilots आज भारत में बने "तेजस" लड़ाकू विमान, एडवांस्ड लाइट हेलीकाप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकाप्टर उड़ा रहे हैं– यही तो भारत शक्ति है। हमारे sailors पूरी तरह से भारत में बनी पनडुब्बियां, destroyers और aircraft कैरियर में लहरों के पार जा रहे हैं– यही तो भारत शक्ति है। हमारी थल सेना के जवान, भारत में बने आधुनिक अर्जुन टैंक्स और तोपों से देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं– यही तो भारत की शक्ति है।

बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषय सुधार किया, Reforms किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने MSME, startups को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में defence corridors बन रहे हैं। इनमें अब तक 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री, भारत में काम करना शुरू कर चुकी है। और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएंगी। हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षो में देश का रक्षा उत्पादन, दो–गुना से भी ज्यादा, यानि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 150 से ज्यादा नए defense Start ups शुरू हुए हैं। इनको हमारी सेनाओं ने 1800 करोड़ रुपए के

Order देने का निर्णय लिया है।

रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत, सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। युद्ध के समय जब सेनाओं को पता होता है कि जिन हथियारों का वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो उनके अपने हैं, वो कभी भी कम नहीं पड़ेंगे, तो सेनाओं की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। बीते 10 वर्षों में, भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना aircraft carrier बनाया है। 'C–295' transport aircraft भारत में बनाये जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। और आप जानते हैं, कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब 5जी Generation लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजायन, डेवलप और मैन्यूफेक्चर करने वाले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि भविष्य में भारत की सेना और भारत का डिफेंस सेक्टर कितना बड़ा होने वाला है, इसमें युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कितने अवसर बनने वाले हैं। कभी भारत, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर हुआ करता था। आज भारत डिफेंस सेक्टर में भी एक बड़ा निर्यातक बनता जा रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है।

आजादी के बाद से एक दुर्भाग्य ये रहा कि जिन्होंने दशकों पर देश पर शासन किया, वो देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहे। हालत ये थी कि आजादी के बाद देश का पहला बड़ा घोटाला सेना में खरीद के दौरान ही हुआ। उन्होंने जानबूझकर भारत को रक्षा ज़रूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रखा। आप ज़रा, 2014 से पहले की स्थिति याद कीजिए– तब क्या चर्चा होती थी? तब रक्षा सौदों में घोटालों की चर्चा होती थी। दशकों तक लटके रहे रक्षा सौदों की चर्चा होती थी। सेना के पास, इतने दिनों का गोला–बारूद बचा है, ऐसी चिंताएं सामने आती थीं। उन्होंने हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बर्बाद कर दिया था। हमने इन्हीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को जीवनदान दिया, उन्हें 7 बड़ी कंपनियों में बदला। उन्होंने HAL को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया था। हमने HAL को रिकॉर्ड प्रॉफिट लाने वाली कंपनी में बदल दिया। उन्होंने, कारगिल युद्ध के बाद भी CDS जैसे पद के गठन की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। हमने इसको ज़मीन पर उतारा। वो दशकों तक हमारे वीर बलिदानी सैनिकों के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक तक नहीं बना पाए। ये कर्तव्य भी हमारी ही सरकार ने पूरा किया। पहले की सरकार तो, हमारी सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से भी डरती थी। लेकिन आज देखिए, एक से एक आधुनिक रोड, आधुनिक टनल, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बन रही हैं।

मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, ये हमारे सैनिक परिवारों ने भी अनुभव किया है। आप याद कीजिए, चार दशकों तक OROP& One Rank One Pension को लेकर कैसे सैनिक परिवारों से झूठ बोला गया। लेकिन मोदी ने OROP लागू करने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को बड़े शान के साथ पूरा भी कर दिया। इसका फायदा यहां जब राजस्थान में आया हूं मैं तो बताता हूं, राजस्थान के भी पौने 2 लाख पूर्व सैनिकों को मिला है। उन्हें OROP के तहत 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं।

सेना की ताकत भी तभी बढ़ती है, जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ती है। बीते 10 वर्षों के अथक और ईमानदार प्रयासों से हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बने, तो हमारा सैन्य सामर्थ्य भी बढ़ा है। आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे, तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। और भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान, विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। इसी विश्वास के साथ भारत शक्ति के सफल आयोजन की फिर से एक बार मैं आप सबको और तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त प्रयास को हृदय की गहराई से बहुत–बहुत बधाई देता हूं।

विघटन का शिकार "इंडी" गठबंधन

आरबीएल निगम

कहते है कि किसी के लिए कुआँ खोदो, ऊपर वाला उसी के लिए खाई खोद देता है, ठीक वही वही स्थिति प्छक् गठबंधन की है। चले थे मोदी को हराने, लेकिन खुद ही एक दूसरे को हराने को आतुर हैं। अगर यही हालत रहे 2024 तो क्या 2029 में भी कहीं नज़र नहीं आने वाला विपक्ष। वास्तव में विपक्ष किसी भी उस मुद्दे पर मोदी को घेर पाया, जिन पर इन्हे घेरना था। परन्तु इनके दिमाग में बस मोदी–योगी ही घूम रहा है और उससे हताश होकर विदेशी भीख पर विपक्ष देश में उपद्रव और मुस्लिमों को खुश करने सनातन का विरोध कर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ियाँ मार चलने योग्य नहीं रहा। खुद ही वोटों का ध्रुवीकरण कर भाजपा के मार्ग में फूल बिछा रहे हैं। अगर विपक्ष अभी भी मोदी–योगी विरोध के नशे से बाहर नहीं आया, निश्चितरूप से विपक्ष अपनी मौत मर जाएगा।

मुस्लिम कट्टरपंथियों के कंधे बन्दुक रख अगर विपक्ष समझ रहा है कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ है, यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। कट्टरपंथियों को छोड़, अधिकतर मुस्लिम समाज इनके विरुद्ध जाकर भाजपा की ओर झुक रहा है।

कोलकाता से मुंब तक INDI गठबंधन जो कभी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। केरल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक गठबंधन के परखच्चे उड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने काँग्रेस की सभी उम्मीदों को धराशा करते हुए सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।

कोलकाता से मुंबई तक प्छक् गठबंधन जो कभी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा था, वो पूरी तरह से टूट चुका है। केरल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक गठबंधन के परखच्चे उड़ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कॉन्ग्रेस की सभी उम्मीदों को धराशाई करते हुए सभी 42 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।

राजनीति में खास तौर से चुनावों के पहले बहुत कुछ उलटफेर देखा जाता है। पार्टियाँ अपनी सुविधा के हिसाब से पाले बदलती हैं। एक तरफ तो एनडीए दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, और इंडी गठबंधन के ही साथियों को तोड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अपने साथियों को संभाल नहीं पा रही है। इंडी गठबंधन की ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। कॉन्ग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी कि आखिर तक वो ममता बनर्जी को मना ही लेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कॉन्ग्रेस के आखिरी सपने को भी ध्वस्त कर दिया है।

वैसे, ममता बनर्जी ने कॉन्ग्रेस के अधीर रंजन चौधरी की सीट पर स्टार पॉवर उतारा है। एक तरफ तो आईपीएल चल रहा है, तो दूसरी तरफ केकेआर के लिए लंबे समय तक खेले क्रिकेटर यूसुफ पठान को अधीर रंजन की सीट पर उतार दिया गया है। वहीं, महुआ मोइत्रा को एक बार फिर से ममता बनर्जी ने मैदान में उतारा है, जो कुछ माह पहले ही घूसकांड के चलते लोकसभा की सदस्यता गवाँ बैठी थी।

इंडी गठबंधन में आज का सच यह है कि लोकसभा चुनाव सामने है और बड़े हिस्सेदार सीटों पर बातचीत को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। वे इस मामले पर एकमत भी नहीं दिखते। एक भी दल अपने प्रभाव वाले इलाके में गठबंधन के किसी दूसरे सहयोगी को एक भी सीट देने को राजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लोक सभा में मुख्य विपक्षी दल

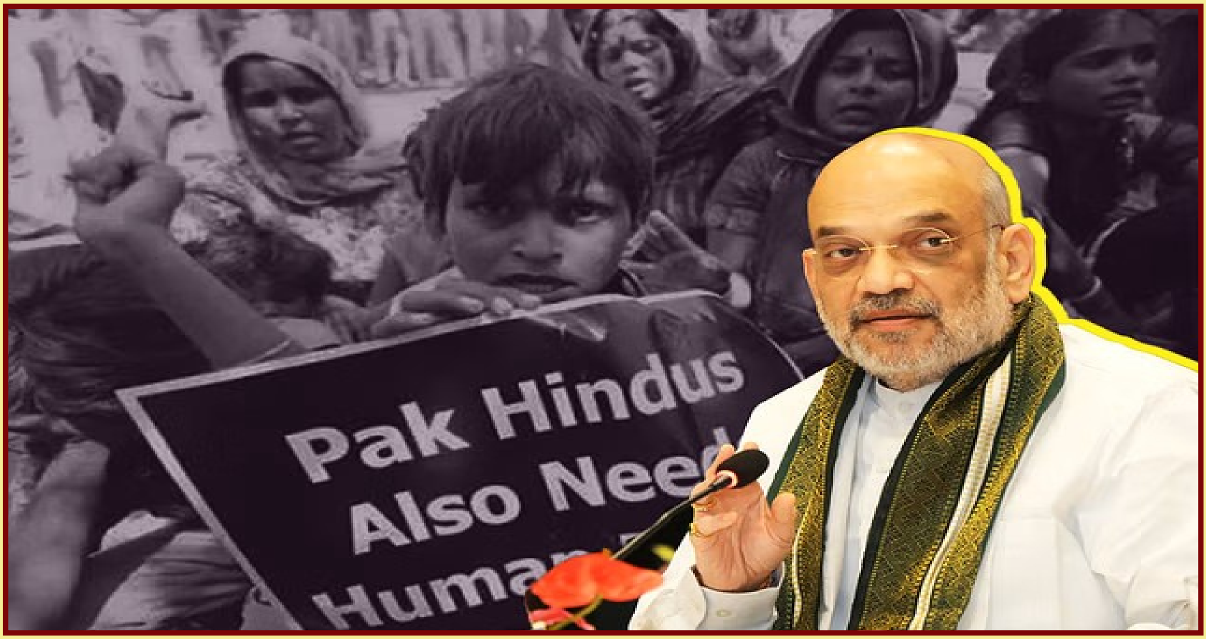

कॉन्ग्रेस को गठबंधन से जुड़े दल बहुत भाव नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही हाल है। एनसीपी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनसीपी और कॉन्ग्रेस पर आँखे तितेर रही है। कुल मिलाकर परसेप्शन बन चुका है कि इंडी गठबंधन खंड–खंड होकर बिखर गया है।

इंडी गठबंधन की हालत ये है कि वो आपस में ही लड़कर चूर–चूर हो जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि नीतीश फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन बैठे हैं। इसी का परिणाम है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना फाड़ हो गई तो शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी आज उन्हीं के सामने उनकी नहीं रही।

महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भले ही नहीं है, लेकिन वो अपने सहयोगियों को साधना जानती है, यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम होकर भी महाराष्ट्र में एनडीए को संभाले हुए हैं, तो बिहार में राम विलास पासवान की पार्टी दो फाड़ होकर भी एनडीए का ही हिस्सा है। वहीं, एनडीए ने आँध्र प्रदेश में सीटों का बंटवारा कर लिया है।

इंडी गठबंधन का सनातन विरोध से लेकर हर पैंतरा फेल

इंडी गठबंधन के नेता एनडीए और बीजेपी को रोकने के लिए हर रोज ऊल–जलूल बयानबाजी पर उतर आए हैं। भगवान राम से लेकर हिंदुत्व तक को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बावजूद एनडीए लगातार न सिर्फ मजबूत होती जा रही है, बल्कि जनता में भी सकारात्मक मैसेज जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी विकास की भी बातें कर रही है, तो चुनावी मैदान में सबसे अहम बात अपने सहयोगियों को साधे रखने की कला में भी बीजेपी अपनी ताकत दिखा रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में आधा दर्जन से अधिक सहयोगियों के होने के बावजूद एनडीए में सबकुछ सही दिख रहा है।

वहीं, इंडी गठबंधन में शामिल दल अपने निहित स्वार्थों के चक्कर में न सिर्फ ऊल–जलूल फैसले कर रहे हैं, बल्कि अपनी माँगों को लेकर एकजुट भी होते नहीं दिख रहे हैं। अब ये साफ हो चुका है कि पंजाब में इंडी गठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। केरल में भी इंडी गठबंधन का यही हाल है। पश्चिम बंगाल में भी सबकुछ साफ हो चुका है, तो महाराष्ट्र में भी कमोवेश स्थिति ज्यादा सीटों पर कब्जे की लड़ाई में टूट की ही दिख रही है।

ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 से अधिक सीट और बीजेपी के लिए 370 सीटों का जो लक्ष्य रखा है, उसके सामने इंडी गठबंधन की कोई हैसियत ही नजर नहीं आ रही है। संसद में यह नारा देने के बाद पीएम मोदी इसी लक्ष्य को पूरा करने को अपनी ओर से अनेक प्रयास करते देखे जा रहे हैं। वह चाहे मंदिर–मंदिर जाना हो या फिर यूएई की धरती से केरल और देश के मुसलमानों को साधने की कोशिश। देश के अंदर उनके काम का आँकड़ा उनके साथ पहले से ही है। वहीं, इंडी गठबंधन कहीं से भी टक्कर देने की हैसियत में भी नहीं दिख रही है।

सीएए अर्थात् सरकार की मानवीय पहल

राकेश कुमार आर्य

1947 में जब सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में ढाई से 3 करोड हिंदू उसे अपना वतन मानकर वहीं रह गये थे। उस समय पाकिस्तान के निर्माता जिन्नाह ने हिंदुओं को यह विश्वास दिलाया था कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्षता के मार्ग पर चलेगा। जिससे गैर मुसलमानों को पाकिस्तान में रहने से किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। पर ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान का उदय सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। अतः सांप्रदायिकता वहां शासन का आधार बन गई। जिससे गैर मुसलमानों के लिए इस नवोदित देश में सांस लेना तक कठिन हो गया। ढाई तीन करोड़ गैर मुसलमानों को मसलने और लील जाने की प्रक्रिया पाकिस्तान के फौजी शासकों और सरकार ने अपनानी आरंभ कर दी। उसी का परिणाम है कि आज पाकिस्तान में 10–20 लाख ही हिंदू रह गए हैं।

भारत के ही सहयोग से पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश भी इसी सोच का शिकार था। निश्चित रूप से उसका उदय भी सांप्रदायिक सोच के आधार पर ही हुआ था। पाकिस्तान की सांप्रदायिक और गैर मुसलमानों से घृणा रखने वाली सोच बांग्लादेश को विरासत में प्राप्त हुई थी। उसी का परिणाम रहा कि भारत के ही सहयोग से बने बांग्लादेश ने भी हिंदुओं के साथ वही व्यवहार करना आरंभ कर दिया जो उसके पूर्वज पाकिस्तान में होता आ रहा था। सोशल मीडिया पर आज भी अनेक ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जिनमें पाकिस्तान की ही तर्ज पर बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर अत्याचार होते हुए दिखाए जाते हैं।

ऐसी ही स्थिति अफगानिस्तान की भी रही है। वह भी कभी हिंदू देश हुआ करता था, पर सांप्रदायिकता ने वहां पर भी गैर मुसलमानों के साथ अन्याय के अनेक कीर्तिमान स्थापित किये और उनके अस्तित्व को कुचलना इस देश ने भी अपना मौलिक अधिकार माना। इस प्रकार 20 वीं और 21वीं शताब्दी में मानवता इन अत्याचारों को लेकर शर्मसार होती रही, पर यह तीनों ही देश गैर मुसलमानों पर अपने अत्याचारों की कहानी को निरंतर आगे बढ़ाते रहे। इस दौरान अनेक हिंदू या गैर मुस्लिम उन देशों को छोड़कर भारत की ओर भागे। उन बेचारों का दोष केवल इतना था कि वह गैर मुस्लिम थे। इसलिए वे सभ्य समाज का एक अंग नहीं हो सकते थे। उन्हें 14 वीं शताब्दी की मजहबपरस्ती कुचल रही थी और शेष सारा संसार मौन होकर इस अत्याचार को देख रहा था।

यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जिस समय देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश के नेतृत्व ने सांप्रदायिक आधार पर बने पाकिस्तान के मौलिक चरित्र को समझ कर भी गैर मुसलमानों को उसकी दया पर छोड़ दिया । जबकि इन गैर मुसलमानों को पाकिस्तान में छोड़ने का अर्थ था इन्हें

पाकिस्तान की भेड़िया वृत्ति का शिकार बनाना। गैर मुस्लिम विशेष रूप से हिंदू और सिख इन तीनों देशों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहे। इधर भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने और सेकुलर राजनीति ने इन अत्याचारों पर बोलना भी पाप माना।

अब जाकर भारत की ओर से इन तीनों देशों से आने वाले गैर मुसलमानों को संरक्षण देने और उन्हें मानवीय जीवन जीने की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। जिसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक आएंगे। इस अधिनियम को लेकर कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों ने शोर मचाया है। मुसलमानों को भारतीय संविधान और व्यवस्था के विरुद्ध उकसाने का हर संभव प्रयास किया गया है। सेकुलर राजनीति गला फाड़ती रही, चिल्लाती रही और देश की व्यवस्था पर इस बात के लिए दबाव बनाती रही कि इस अधिनियम को वापस लिया जाए। हम सभी जानते हैं कि जिस समय यह एक्ट अस्तित्व में आया था, उस समय दिल्ली के शाहीन बाग में क्या–क्या नहीं किया गया था? जमकर देश विरोधी नारे लगे थे। बयानबाजियां हुई थीं। देश को तोड़ने वाले भाषण दिए गए थे और देश को डराने धमकाने की धमकियां दी गई थीं।

अब जबकि इस अधिनियम को यथावत लागू कर दिया गया है तो देश के बहुसंख्यक समाज सहित बुद्धिजीवियों ने इस अधिनियम का और सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। हमारे देश में सेकुलर राजनीति किसी वर्ग विशेष का तुष्टिकरण करते हुए वोटों की राजनीति करती रही है। जिसके फलस्वरुप देश के बहुसंख्यक समाज के साथ स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात पहले दिन से अन्याय होता आया है। इस अन्याय का शिकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले करोड़ों हिंदू बनते रहे हैं। जब सारे संसार में मानवाधिकारों को लेकर गंभीर चर्चाएं होती हों और लोग बढ़ चढ़कर उन चर्चाओं में भाग लेकर अपने भाषण झाड़ते हों, तब मानवाधिकारों के सबसे प्रबल समर्थक, उद्घोषक और संस्थापक भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उस प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण करे जो किसी देश की व्यवस्था के संस्थागत अत्याचारों का शिकार बन रहा है। वर्तमान अधिनियम में यही बात दिखाई देती है। इसमें केवल 'हिंदू' की बात नहीं की गई है बल्कि उस प्रत्येक व्यक्ति की बात की गई है जो इन तीनों देशों के शासन और व्यवस्था के संस्थागत अत्याचारों का शिकार बन रहे थे। इस प्रकार यह अधिनियम पूर्णतया मानवीय है। समय के अनुकूल है और भारतीय संविधान की उस व्यवस्था के भी अनुकूल है जो प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय देने की गारंटी देती है। हमारे देश का संविधान कहता है कि किसी व्यक्ति को या किसी भी शक्ति को देश के किसी वर्ग पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं होगा। सभी लोगों को फलने फूलने और अपना जागतिक विकास करने का पूर्ण अधिकार होगा।

हमारा मानना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए 1874000 गैर मुसलमानों को भी अपना जागतिक विकास करने का पूर्ण अधिकार है। वह व्यवस्था की संभावनाओं के पालने में अनंत काल तक झूलने के लिए अकेले नहीं छोड़े जा सकते। सभ्यता, शालीनता और मानवता का तकाजा यही है कि उनके घावों पर मरहम लगाया जाए और उनके जीवन तथा भविष्य को नई संभावनाओं और आशाओं से रोशन कर दिया जाए। 14 वीं शताब्दी की बर्बरता और अत्याचारों की कहानी को दोहराने का अवसर यदि 21वीं शताब्दी में भी दिया जाता है या उस ओर से आंखें मूंदी जाती हैं तो यह मानवता के साथ किया जाने वाला घृणास्पद अपराध ही होगा। इस अपराध को बढ़ावा देने वाली प्रवृत्ति के साथ भारत के जितने भर भी राजनीतिक दल खड़े हैं वे सब के सब अपराधी हैं। उन्हें राष्ट्र हित में सोचना चाहिए और सरकार की अच्छी नीति का समर्थन करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अधिनियम को लागू कर एक साहसिक निर्णय लिया है। जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं।

हिन्दू धर्म में “शक्ति”

आनन्द उपाध्याय

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी पूर्व की गलतियों से सबक न लेते हुवे अपने असंगत,आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान देने की प्रवृत्ति को जारी रखते हुवे अपने हालिया बयान के जरिए बैठे बैठाए लोकसभा चुनाव के ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं विशेषकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को नया मुद्दा तश्तरी में बाकायदा परोस कर प्रस्तुत कर दिया है। अपनी बीते दिनों से जारी न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर मुम्बई के आजाद मैदान में इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ मंच साझा करते हुवे उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित करते हुवे नरेंद्र मोदी पर प्रहार करने की नीयत से यह कहा कि,” हिन्दू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम उससे ही लड़ रहे हैं। यहां यह विचारणीय है कि सत्ता की शक्ति से मुकाबला करने की बात करने के वक्तव्य को देने के लिए राहुल को यह वाक्यांश कहने की क्या जरूरत आन आ पड़ी कि, हिन्दू धर्म में एक शब्द है”शक्ति” ! अपने भाषण में अपनी बात को उद्धृत करने के लिए हिन्दू धर्म का उल्लेख करना आखिरकार आत्मघाती! सिद्ध हो गया!

अगले ही दिन तेलंगाना की चुनाव सभा में नरेंद्र मोदी ने इस बयान को बखूबी लपक कर राहुल गांधी ही नहीं अपितु समूचे इंडी गठबंधन को अपने घेरे में समेटने का काम कर लिया। उल्लेखनीय है कि सनातन धर्म के समस्त आध्यात्मिक दर्शन और धार्मिक ग्रन्थों में शक्ति शब्द की व्याख्या करते हुवे आदि शक्ति नव दुर्गा के विविध स्वरूपों को उल्लिखित करते हुवे उनके महात्म्य को दर्शाया गया है। मोदी ही नहीं समूची भाजपा के देश प्रदेश के नेताओं, प्रवक्ताओं ने राहुल के बयान को सनातन धर्म विरोधी बताने में कोई कोताही नहीं बरती। मोदी ने तो राहुल और उनके गठबंधन के विभिन्न पार्टियों के नेताओं के स्तर से पूर्व से लगातार दिए जाते रहे सनातन धर्म और हिन्दू देवी देवताओं तथा पावन धार्मिक ग्रन्थों के खिलाफ दिए गये आपत्तिजनक बयानों से जोड़कर यह बताने का जतन किया कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने और मोदी हटाओ के निहित एजेंडे लेकर चलने वाला विपक्ष दर असल सुनियोजित साजिश के तहत सनातन धर्म को बदनाम कर मुस्लिम समुदाय को खुश कर वोट हासिल करने के अपने पारम्परिक तुष्टीकरण वाले एंगिल पर काम करता परिलक्षित है। मोदी ने शक्ति से लड़ाई के मुद्दे को विपक्ष की देश की आधी आबादी महिला शक्ति से जोड़ते हुवे बाकायदा अनेक उदाहरणों के जरिए राहुल और उनकी साथी पार्टियों के नेताओं को महिला विरोधी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी! तेलंगाना ही नहीं तमिलनाडू में भी अपनी महिला बाहुल्य जन सभा में मोदी ने इंडी गठबंधन को महिला विरोधी सिद्ध कर महिलाओं की ताली बटोरी। बीते दिनो लालू प्रसाद यादव के मुंह से निकले बयान कि,” मोदी का कोई परिवार ही नहीं है” इंडी गठबंधन के लिए नितांत नुकसानदेह ही नहीं अपितु सेल्फ गोल सिद्ध हो गया जब अगले पल ही मोदी ने पूरी शिद्दत और संजीदगी के साथ नितांत भावनात्मक स्वरूप देकर यह ऐलान कर दिया कि 140 करोड़ भारतवासी ही उनका परिवार है। भाजपा नेताओं और समर्थकों ने देखते देखते अपने सोशियल मीडिया के स्टेटस पर मैं मोदी का परिवार ही नहीं लिखना शुरू कर दिया वरन अब तो लोक सभा चुनाव के प्रचार अभियान में मैं हूं मोदी का परिवार का गीत समूचे भारत में विविध भाषाओं में गुंजायमान हो रहा है! इसी प्रकार की हेडविकेट होने वाली भयंकर भूल राहुल गांधी ने बीते लोकसभा चुनाव में मोदी को अपमानित करने की नियत से लगाए गये नारे ”चौकीदार चोर है” के माध्यम से कर कर अपने पैरों में जैसे कुल्हाड़ी मारने का काम किया था! आधारहीन और मूर्खतापूर्ण प्रलाप सिर्फ स्लिप टंग! कह कर नकारना समझ से परे ही कहा जाएगा! राहुल की सिलसिलेवार जारी बदजुबानी पर बाद में किरकिरी होते देख कांग्रेस प्रवक्ताओं का डेमेज कंट्रोल के लिए कुतर्क गढ़कर वास्तविक आशय बताने की लीपापोती हास्यास्पद परिलक्षित होती है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि! की तर्ज पर ज्यादा जोगी मठ उजाड़े! का परिदृश्य प्रस्तुत होता परिलक्षित है। सात चरणों में आहूत लोक सभा चुनाव के प्रचार अभियान में राहुल और उनकी सहयोगी पार्टियों के बयान बहादुर! देखना होगा कि अपने बयानों के जरिए सेल्फ गोल करते आने की आत्मघाती प्रवृत्ति से बचेंगे अथवा खुद–ब–खुद हेड विकेट होगे यह समय बताएगा?

एक देश, एक चुनाव !

हृदयनारायण दीक्षित

एक साथ चुनाव पर विचार करने वाली समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। इस रिपोर्ट का विरोध भी प्रारम्भ भी हो गया है। एक साथ चुनाव का विषय देश के हित में है। लेकिन इस रिपोर्ट की सिफारिशों का विरोध भी हो रहा है। बताया जाता है कि यह रिपोर्ट 18000 पृष्ठ की है। इसे ठीक से पढ़े जाने और तथ्यों के विवेचन का काम बड़ा है। विरोध करने वाले भी संभवतः इस रिपोर्ट को पूरी तौर पर पढ़े बिना ही अपने निष्कर्ष निकाल रहे हैं। भारतीय जनतंत्र पूर्वजों के सचेत कर्मों का प्रसाद है। सभा समितियां ऋग्वैदिक काल में ही थीं। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश तर्ज का संसदीय जनतंत्र अपनाया। अनेक संवैधानिक संस्थाएं गढ़ी। केन्द्रीय स्तर पर संसद बनी। केन्द्र को संसद के प्रति जवाबदेह बनाया। राज्य सरकारें विधानमण्डलों के समक्ष जवाबदेह बनी। संसद व विधानमण्डल के चुनाव के लिए निष्पक्ष निर्वाचन आयोग (अनु० 324) बना।

लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार आदर्श है। लोकसभा का चुनाव अलग व देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव अलग से कराने का विचार भी आया था। कुछ दल इस विचार को उचित मान सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी।

संविधान सभा में निर्वाचन आयोग के कृत्यों पर बहस हुई। आयोग को कर्मचारी अधिकारी देने का प्रश्न उठा। डॉ० आम्बेडकर ने कहा, ''आयोग के पास कम काम होगा।'' शिब्बन लाल सक्सेना ने कहा कि, ''संविधान में निर्धारित नहीं है कि अमेरिकी तर्ज पर यहां 4 वर्ष में निर्वाचन अवश्य होगा। संभव है कि केन्द्र व राज्यों के निर्वाचन एक साथ न हों। तब हर समय कहीं न कहीं निर्वाचन होता रहेगा।'' उनकी आशंका सच निकली। सम्प्रति भारत चुनाव व्यस्त देश है। कभी लोकसभा चुनाव तो बहुधा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव व नगर निकाय निर्वाचन भी अक्सर होते रहते हैं। नीति आयोग ने लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इसी विचार के हैं। 2014 के चुनाव में भाजपा ने भी घोषणा पत्र में यही विचार व्यक्त किया था।

लगातार चुनाव व्यस्तता राष्ट्रीय विकास में बाधा है। अलग–अलग चुनाव से प्रशासनिक तंत्र की व्यस्तता बनी रहती है। चुनावी अचार संहिता के कारण विकास कार्य रुकते हैं। अरबों का खर्च भी होता है। साथ साथ चुनाव का विचार स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से अपील की थी। कहा था, ''एक साथ चुनाव से दलों का नुकसान होगा। हमें भी नुकसान होगा लेकिन इसे संकीर्ण राजनैतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए।''

1951–52 में पहली लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1967 तक दोनों के चुनाव साथ–साथ हुए थे। 1968 से यह क्रम टूट गया। दरअसल संविधान निर्माताओं ने सरकारों का कार्यकाल नहीं सुनिश्चित किया। यहाँ सरकारों का जीवन संसदीय बहुमत की डोर से बंधा हुआ है। डॉ० आम्बेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट किया था कि सरकारी जवाबदेही को स्थिरता (कार्यकाल) की तुलना में ऊपर रखा गया है। सदन में सरकारों की संवैधानिक जवाबदेही है। इस आधारभूत सिद्धांत में सरकारों का कार्यकाल अनिश्चित है। यहाँ बहुमत स्थाई नहीं होता। दल बदल प्राविधान में भी छेद किए गए। थोक दल बदल को दल टूट कहा गया। तमाम सरकारें अल्प मृत्यु की शिकार हुई। साथ साथ चुनाव का क्रम भंग हो गया।

साथ साथ चुनाव से राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय संदर्भो से जुड़ने की ओर बढ़ेंगे और क्षेत्रीय दलों की दृष्टि राष्ट्रीय होगी। लेकिन कुछ दलों की चिन्ता बड़ी है। बीते कुछेक वर्षो में राष्ट्रीयता का भाव देशव्यापी हुआ है। माकपा, भाकपा जैसे वामपंथी दल स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा का दल बताते हैं लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र राज्यस्तरीय भी नहीं बचा। चुनाव आयोग ने बेशक केन्द्रीय विधि मंत्रालय के एक संदर्भ के जवाब में दोनों चुनाव एक साथ कराने पर बहुत पहले ही सहमति व्यक्त की थी लेकिन सभी दलों की सहमति प्राप्त करना आसान नहीं। कुछेक दल वर्तमान स्थिति को ठीक मानते हैं और चुनाव अलग अलग ही चाहते हैं।

लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार आदर्श है। लोकसभा का चुनाव अलग व देश की सभी विधानसभाओं के चुनाव अलग से कराने का विचार भी आया था। कुछ दल इस विचार को उचित मान सकते हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। संशोधन में केन्द्र व राज्य सरकारों को सुनिश्चित कार्यकाल देना होगा। सदन में बहुमत खो जाने की स्थिति में सरकारी कार्यकाल की समस्या का निराकरण जरूरी होगा। दसवीं अनुसूची के अनुसार दल से भिन्न मतदान के कारण सदन की सदस्यता खो जाने की विधि प्रवर्तन में है। मूलभूत प्रश्न किसी भी कारण से सदन में बहुमत खो चुकी सरकार को पूरा कार्यकाल देने की नई व्यवस्था का है। क्या वैकल्पिक सरकार बनाने का अधिकार संसद या विधानसभा को दिया जा सकता है? क्या हमारा दलतंत्र स्थिर कार्यकाल और संवैधानिक जवाबदेही को एक साथ चला सकता है? क्या संवैधानिक जवाबदेही को छोड़कर स्थिरता को ही अपनाया जा सकता है? अमेरिका में ऐसा ही है।

प्रश्न ढेर सारे हैं। ऐसे प्रश्नों का उत्तर संविधान संशोधन और वैधानिक नैतिकता से ही जुड़ा हुआ है। डॉ० आम्बेडकर ने संविधान सभा में इतिहासकार ग्रोट को उद्धृत किया था। 'वैधानिक नैतिकता' का अर्थ संविधान और उसकी संस्थाओं के प्रति निष्ठाभाव है। ग्रोट ने लिखा है कि समाज की वैधानिक नैतिकता ही विधान की शक्ति है। भारत का जनसामान्य विधान का आदर करता है लेकिन दलतंत्र में वैधानिक नैतिकता का अभाव है। इसलिए सरकारें बहुधा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पातीं। तब लोकसभा और विधानसभा के मध्यावधि चुनाव का कोई विकल्प नहीं होता। संसदीय जनतंत्र का मुख्य उपकरण दलतंत्र है। जनतंत्र खूबसूरत विचार है। दलतंत्र ही इसे गतिशील बनाता है। समाज व्यवस्था निरंतर परिवर्तनशील है। लेकिन राजनैतिक व्यवस्था में राजनैतिक सुधार की गति उत्साहवर्द्धक नहीं है। दलतंत्र प्रतिपल चुनाव चिन्तन में ही व्यस्त रहता है। चुनाव चिन्तन को राष्ट्रचिन्तन के खूंटे से बांधना ही होगा। साथ साथ चुनाव एक राष्ट्रहितैषी प्रगतिशील वैकल्पिक विचार है। 1952 से लेकर 1967 तक यही हुआ था, तब कोई पहाड़ नहीं टूटा तो अब इसे अपनाने में कठिनाई क्या है?

सभी राजनैतिक दलों को खुले मन से विचार करना चाहिए। लोकसभा, विधानसभा के साथ पंचायती व नगरीय संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव पर भी। सभी एक साथ नहीं तो विधानसभा के साथ पंचायतों व नगर पंचायतों के चुनावों को जोड़कर विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं से शुरुवात तो करनी ही होगी। हर समय चुनाव ही चुनाव का तनाव समाज नहीं झेल सकता और न ही चुनाव संचालन में खर्च होने वाली भारी धनराशि का बोझ ही। आमजन भी ऐसी राजनीति से ऊबे हुए हैं। इसलिए राजनीति को दीर्घकालिक राष्ट्रनिर्माण के लक्ष्य से जोड़ना चाहिए। चुनावी जीत हार के अल्पकालिक लक्ष्य से नहीं। दल या नेता स्थाई नहीं होते। राष्ट्र स्थाई सत्ता है। सभी सामाजिक, राजनैतिक या संवैधानिक संस्थाएं राष्ट्र का ही विस्तार हैं। राष्ट्र के लिए ही हैं। एक साथ चुनाव राजनैतिक सुधार है। राजनैतिक सुधार लोकतंत्र को गुणवान बनाते हैं। व्यापक राजनैतिक सुधारों का कोई विकल्प नहीं।

मोदी का "परिवार"

लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का शुभारंभ हो गया है। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। BJP&NDA इन चुनावों में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुशासन और जनसेवा के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम जनता–जनार्दन के बीच जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि 140 करोड़ परिवारजनों और 96 करोड़ से अधिक मतदाताओं का भरपूर स्नेह और आशीर्वाद हमें लगातार तीसरी बार मिलेगा।

10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली थी, तब देश और देशवासी इंडी अलायंस के कुशासन से पीड़ित थे। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा था, जो घोटालों और पॉलिसी पैरालिसिस से अछूता रहा हो। देश निराशा के गर्त में था और दुनिया भी भारत पर भरोसा करना छोड़ चुकी थी। हमने उस परिस्थिति से देश को निकाला और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।

140 करोड़ देशवासियों की शक्ति और सामर्थ्य से हमारा देश आज हर दिन विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है। आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। हमारी सरकार की योजनाएं देश के कोने–कोने और समाज के हर तबके तक पहुंची हैं। हमने शत–प्रतिशत देशवासियों तक पहुँचने के लिए काम किया है और परिणाम हमारे सामने हैं।

आज हर भारतीय ये अनुभव कर रहा है कि एक ईमानदार, दृढ़–संकल्पित और मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार कितना कुछ कर सकती है। इसीलिए, हर देशवासी की हमारी सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हुई हैं। इसीलिए, आज भारत के हर कोने से और समाज के हर वर्ग से एक स्वर सुनाई दे रहा है– **अबकी बार, 400 पार!**

आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई दिशा। उनका एक ही एजेंडा बचा है– हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीति करना। उनकी परिवारवादी मानसिकता और समाज को बांटने के षड्यंत्र अब जनता ख़ारिज कर रही है। भ्रष्टाचार के अपने ट्रैक–रेकॉर्ड के कारण वो लोगों से आंखे नहीं मिला पा रहे हैं। जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

अपने तीसरे कार्यकाल में हमें देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं। हमारे बीते 10 साल उस गहरी खाई को भरने में भी बीते हैं, जो दशकों तक शासन करने वालों ने बनाई थी। इन 10 वर्षों में देशवासियों में ये आत्मविश्वास आया है कि हमारा भारत भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है। हमारा अगला कार्यकाल इन संकल्पों की सिद्धि की राह प्रशस्त करेगा।

NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी। सामाजिक न्याय के लिए हमारे प्रयास और बढ़ेंगे। हम तेजी से भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रयास और मजबूती से आगे बढ़ेंगे।

मैं यह साफ तौर पर देख रहा हूं कि आने वाले 5 वर्ष हमारे उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा जिसमें हम भारत की अगले एक हजार वर्ष की विकास यात्रा का रोडमैप तैयार करेंगे। ये समय भारत के सर्वांगीण विकास, समावेशी समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बनेगा।

मुझे मेरे देशवासियों के, विशेष रूप से गरीब, किसान, युवा और नारीशक्ति के आशीर्वाद से असीम शक्ति मिलती है। जब मेरे देशवासी ये कहते हैं कि– **"मैं हूँ मोदी का परिवार"** तो इससे मुझे विकसित भारत के निर्माण के लिए और अधिक मेहनत करने का उत्साह मिलता है। हम विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे, और ये लक्ष्य हासिल करके रहेंगे। यही समय है, सही समय है।

बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों का विरोध क्यों नहीं?

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने समाचार एजेंसी एएनआई पॉडकास्ट को दिए गए इंटरव्यू में भारत सरकार द्वारा हाल ही लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के तथ्यों को सामने रखा और इस अधिनियम के असली उद्देश्य को देश की जनता के साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने कई विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखी।

श्री शाह ने चुनाव से पहले सीएए लागू करने पर कहा कि राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी सहित सभी विपक्षी दलों के नेता झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इस बिल के लागू होने के समय के बारे में बात करने का महत्व इसलिए नहीं है क्योंकि भाजपा ने 2019 लोकसभा चुनाव के अपने घोषणापत्र में ही सीएए लागू करने की बात कही थी। भाजपा का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और इसी एजेंडे के आधार पर जनता भाजपा को बहुमत दे रही है। 2019 में ये बिल संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया था और लागू होना तो महज औपचारिकता रह गई थी। विपक्ष इस अधिनियम के समय के बारे में बात कर तुष्टिकरण की राजनीति और वोट बैंक को साधना चाहता है। परन्तु सत्य है कि विपक्ष बेनकाब हो गया है और जनता समझ चुकी है कि सीएए इस देश का अहम कानून है। वहीं चुनाव से पहले इस अधिनियम को लागू करने की तो पिछले 4 वर्षों में ये 41 बार कहा जा चुका है कि ये बिल चुनाव से पहले ही लागू होगा तो अब इसके लागू होने के समय पर प्रश्न खड़े करना अप्रासंगिक है। विधायिका की इच्छा बिल से प्रकट होती है न कि नियमावली से। भाजपा सरकार ने 2019 में ही ये बिल पारित कर दिया था और अब तो नियमावली लागू हुई है। श्री शाह ने स्पष्टता से कहा कि भाजपा के लिए ये राजनीतिक लाभ का मुद्दा नहीं है। नागरिकता संशोधन अधिनियम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भाजपा के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए करोड़ों शरणार्थियों को उनके अधिकार देना, उनकी वेदना से उन्हें मुक्ति दिलाना और उनकी तीन पीढ़ियों को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं दिया।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने विपक्ष द्वारा भाजपा पर इस मुद्दे के राजनीतिकरण और वोटों के ध्रुवीकरण के आरोपों पर कहा कि विपक्ष ने तो सर्जिकल, एयर स्ट्राइक और धारा 370 हटाने को राजनीतिक कदम बताया लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं है भाजपा आतंकवाद के विरुद्ध कदम न उठाए। विपक्ष का इतिहास है कि ये दल सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भाजपा ने जो कहा वो किया है। मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की भी गारंटी है।

मोदी जी की सरकार सभी पात्र शरणार्थियों को नागरिकता देगी

श्री शाह ने इस बिल के बारे में फैल रही भ्रामक जानकारी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 4 वर्षों में 41 बार अलग अलग मंचों से स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश के अल्पसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता का हनन करने का प्रावधान नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन शरणार्थियों को नागरिकता और उनके अधिकार देने का कानून है। जिससे इनके जीवन की वेदनाएं कम हो पाएं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इस नियम को एंटी–मुस्लिम कहे जाने की विसंगति के बारे में कहा कि सीएए को एंटी मुस्लिम कहना पूरी तरह से गलत है। 15

अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और देश तीन हिस्सों में बंट गया, भारतीय जनसंघ (अब भाजपा) शुरू से ही धर्म आधारित विभाजन के विरोध में था। जब धर्म के आधार पर विभाजन किया गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होने लगे, उन पर धर्मपरिवर्तन का दवाब बनाया गया और जब अपनी जान और सम्मान बचाने के लिए वे भारत के शरण में आए तो क्या उन्हें यहां नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। आजादी के वक्त स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने अपने सैकड़ों भाषणों में कहा था कि हिंसा के कारण जो लोग जहां है वहीं रुक जाएं। बाद में जब भी ये लोग भारत आएंगे तो उन्हें स्वीकारा जाएगा। परन्तु उसके बाद वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया।

श्री शाह ने सिर्फ मुसलमानों को इस अधिनियम के तहत नागरिकता नहीं दिए जाने के प्रश्न पर कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से मुसलमानों के लिए दिया गया था। देश का बंटवारा हुआ और मुस्लिम आबादी लिए अखंड भारत का एक हिस्सा दिया गया जो पाकिस्तान है। अगर मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाए तो फिर तो किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति आकर नागरिकता मांग सकता है। अखंड भारत के जिन लोगों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उनको शरण देना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। आंकड़े देखने पर पता चलता है कि विभाजन के समय पाकिस्तान में 23 प्रतिशत हिंदू और सिख तो जो आज महज 3 प्रतिशत बचे हैं, 1951 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हिंदू आबादी 22 प्रतिशत थी और 2011 में मात्र 10 प्रतिशत रह गए, अफगानिस्तान में 1992 में लगभग 2 लाख हिंदू और सिख थे लेकिन आज मात्र 500 बचे हैं। आंकड़ों में ये बदलाव साफ दिखाता है कि उन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और इन्हें दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रखा गया। जब भारत एक था तब वो हमारे ही भाई – बहन थे।

वोटबैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते कांग्रेस ने नागरिकता देने का वादा पूरा नहीं किया

अहमदिया और बलोच प्रताड़ना पर कहा कि पाकिस्तान में शिया, अहमदिया और बलोच के साथ होने वाली प्रताड़ना आंकड़ों से सिद्ध नहीं होती है और पूरे विश्व में सभी प्रकार के मुस्लिमों को एक मुस्लिम माना जाता है। ध्यान देने लायक बात ये है कि किसी भी मुस्लिम के लिए भारत की नागरिकता लेने का रास्ता बंद नहीं किया गया है। कोई भी मुस्लिम नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और जो संवैधानिक नियम और पात्रता है उनके पूरे होने पर उसे नागरिकता मिल जाएगी। सीएए केवल एक विशेष नियम है जिसके तहत आवेदन करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और जिन शरणार्थियों के पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए रास्ता ढूंढा जाएगा। लेकिन लगभग 85 प्रतिशत से अधिक शरणार्थियों के पास दस्तावेज हैं जिनके आधार पर वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। देश की सभी भाषाओं में ये आवेदन किया जा सकता है।

श्री शाह ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जताई गई अपराध बढ़ने आशंका पर कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। वो शायद भूल गए हैं ये सभी लोग भारत में ही रहे हैं और इस नियम से सिर्फ अधिकार और औपचारिक नागरिकता दी जा रही है। 2014 तक जो लोग आ गए सिर्फ उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अगर उन्हें देश की इतनी चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते और क्यों रोहिंग्या घुसपैठियों का विरोध नहीं करते। अरविंद केजरीवाल वोटबैंक की राजनीति करते हैं। दिल्ली का चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। नौकरी का हक तो बंगाल में आए रोहिंग्या घुसपैठिए मारते हैं लेकिन उनका केजरीवाल ने कभी विरोध नहीं किया। अपने वोटबैंक और तुष्टिकरण की ओछी राजनीति के कारण ये सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख शरणार्थियों का विरोध करते हैं। अरविंद केजरीवाल विभाजन की पृष्ठभूमि को भूल चुके हैं। श्री शाह ने केजरीवाल को सलाह दी कि उन्हें उन निराश्रित

शरणार्थियों के साथ कुछ समय गुजारना चाहिए जो अरबों की संपत्ति छोड़कर भारत में आए थे और यहां दिल्ली में सब्जी की दुकान लगाने लगे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाकर एक ऐतिहासिक काम किया है। केजरीवाल को समझ नहीं आता कि जब धर्म के आधार पर अलग कर महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है तो वे किस वेदना से गुजरते हैं। इन लोगों की क्या गलती है कि इन लोगों के बच्चों को अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, अपने नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, मतदान नहीं कर सकते। विभाजन का फैसला इन शरणार्थियों ने नहीं कांग्रेस ने लिया था। भाजपा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इनकी वेदना को समझते हैं और इसीलिए उनकी 75 वर्ष लंबी इस वेदना को चुनाव से पहले समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए नागरिकता छीनने के आरोपों पर कहा कि राजनीति करने के अनेक मंच हैं, ममता बनर्जी को अपनी राजनीति के लिए बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं का अहित नहीं करना चाहिए। श्री शाह ने ममता बनर्जी को नागरिकता संशोधन अधिनियम में नागरिकता हनन करने का प्रावधान दिखाने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खौफ पैदा कर रही हैं। ममता बनर्जी हिंदू और मुसलमानों के बीच द्वेष पैदा कर अपने वोट बैंक को साधना चाहती हैं। ममता बनर्जी को सीएए का विरोध करने की बजाय घुसपैठ को रोकना चाहिए। ममता न तो घुसपैठ रोक रही हैं और न ही केन्द्र का सहयोग कर रहीं हैं। राज्य सरकार के सहयोग के बिना घुसपैठ के सही आंकड़े पता लगाना थोड़ा मुश्किल है और वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार होगी और घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ममता बनर्जी इसी प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तुष्टिकरण की राजनीति करेंगी तो जनता उनके साथ नहीं रहेगी। ममता बनर्जी को शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर ही नहीं पता है। सीएए में डिटेंशन कैंप का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम में डिटेन्शन कैम्प नहीं होने के सवाल पर कहा कि जो लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नहीं आते हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। कई लोग नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के कारण शायद आवेदन करने से भी डरेंगे परन्तु उन्होंने सभी शरणार्थियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी शरणार्थी अपना आवेदन करें, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पूर्वव्यापी प्रभाव से सबको नागरिकता देगी।

नागरिकता संशोधन अधिनियम में एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने या नहीं होने के संशय पर कहा कि असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए हैं इसका नागरिकता संशोधन अधिनियम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ असम ही ही नहीं देश के हर हिस्से में यह कानून लागू होगा। सिर्फ उत्तरपूर्वी राज्य जिन्हें 2 प्रकार के विशेषाधिकार दिए गए हैं उसके तहत सिर्फ उन्ही राज्यों में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा। इन 2 विशेषाधिकारों में इनर लाइन पर्मिट का प्रावधान है और दूसरा संविधान की अनुसूची 6 में शामिल जनजातीय क्षेत्र है। श्री शाह ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में उनकी रचना और उनके अधिकार को बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा। अधिनियम के तहत ही प्रावधान किया गया है कि जहां पर भी इनर लाइन पर्मिट है और संविधान की अनुसूची 6 में जो क्षेत्र शामिल किये गए हैं वहाँ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं होगा एवं वहाँ का पता वाला भाग भी मोबाईल ऐप्लकैशन में अपलोड नहीं होगा।

केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं किए जाने के मुद्दे पर श्री शाह ने कहा कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद ने

नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल भारत की संसद को दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह केवल केंद्र का विषय है, केंद्र और राज्यों का साझा विषय नहीं है। इसलिए नागरिकता के बारे में कानून और उसे लागू करना दोनों ही भारतीय संविधान के 246/1 अनुच्छेद के माध्यम से इसे अनुसूची 7 में डाला गया है और इसकी तमाम शक्तियां भी केंद्र को दी गई हैं। कोई भी नागरिक छूटेगा नहीं, अगर एक भी नागरिक है फिर वह चाहे इन तीनों राज्यों से आटते हैं उन्हें भी इस अधिनियम से जोड़ा जाएगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि सीएए भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया और लागू किया गया है। इंडी गठबंधन के नेता जो सरकार बनने पर कानून रद्द करने की बात कर रहे थे, वे आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। जो नेता अनुच्छेद 14 का हवाला देते हैं वे इसके दो अपवादों को नजरअंदाज कर देते हैं जिसमें उचित वर्गीकरण और प्रावधानों और उद्देश्यों के बीच एक तार्किक संबंध शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सीएए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है क्योंकि इसमें विभाजन से प्रभावित व्यक्तियों और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों के बीच स्पष्ट अंतर के साथ उचित वर्गीकरण शामिल है। यह कानून भारत में शरण चाहने वालों से संबंधित है और पूरी तरह से संवैधानिक है।

श्री शाह ने सीएए पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए जम्मू–कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की आलोचना की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में न्याय मांगने जाना और सुप्रीम कोर्ट का न्याय देना दोनों अलग विषय हैं। श्री शाह ने अनुच्छेद 370 को लेकर भी उन पर निशाना साधा और कहा कि इसे 1951 में भी अदालत में चुनौती दी गई थी लेकिन इसका इस्तेमाल तब तक जारी रहा जब तक कि इसे भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने रद्द नहीं कर दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को भी चुनौती दी कि वह अपना रुख स्पष्ट करें कि सीएए लागू किया जाना चाहिए या नहीं। वह अल्पसंख्यक वोट चाहते हैं और इसलिए वे तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सीएए को "मुस्लिम विरोधी" बताए जाने पर इसके पीछे के तर्क पर सवाल उठाते हुए जवाब दिया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक देश घोषित हैं, इसलिए उन देशों में मुस्लिमों के साथ धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीएए में एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है, किसी की नागरिकता रद्द करने जैसे प्रावधान शामिल नहीं हैं और अगर विपक्ष इस कानून पर चर्चा चाहता है तो सरकार किसी भी कानून को लागू करने से पहले और बाद में संसद में चर्चा की जाती है। वहीं इस कानून के विरोध में अगर कृषि कानून की तरह कोई दंगे होते हैं तो श्री शाह ने स्पष्ट किया कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जायेगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। श्री शाह ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर–पूर्व का विकास किया है और कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तर–पूर्व को जोड़ने के लिए हवाई अड्डे, रेलवे और राजमार्ग बनाए हैं। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि उत्तर–पूर्व में बिजली, पानी कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन, शौचालय सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और शैक्षणिक संस्थान खोले जा रहे हैं।

श्री शाह ने स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों की कोई अलग पहचान नहीं होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें भारत के हर आम नागरिक की तरह नागरिकता सूची में जोड़ा जाएगा और समान अधिकार होंगे। वे चुनाव लड़ सकते हैं और सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। श्री शाह ने सीएए पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान का जवाब देते हुए सुझाव दिया कि राहुल गांधी को जनता को यह बताना चाहिए कि वह क्यों मानते हैं कि सीएए देश के खिलाफ है। श्री शाह ने यह भी कहा कि सीएए कोई राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रहित में लागू किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर विपक्ष को लगता है कि इसका राजनीतिकरण हो गया है तो उन्होंने अपने शासन के दौरान इसे लागू क्यों नहीं किया। श्री शाह ने उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी जनादेश का दुरुपयोग नहीं किया है और कहा कि सरकार ने हमेशा देश के विकास के लिए काम किया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने तीन तलाक, सीएए और धारा 370 को लेकर विदेशी मीडिया द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पूछा कि क्या विदेशों में तीन तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून हैं या धारा 370 के समान प्रावधान हैं क्या? श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ए ग्रेड रहा है और उनके पास 15 अगस्त 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित भारत बनाने और अगले 25 साल की योजना का भी सपना है।

बस्तर द नक्सल स्टोरी

मृत्युंजय दीक्षित

"द केरल स्टोरी" फेम सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह प्रोडक्शन की फिल्म **"बस्तर द नक्सल स्टोरी"**, बस्तर में नक्सली हिंसा तथा वहां के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित और प्रमुख रूप से एक **"मां"** की शक्ति को समर्पित शानदार फिल्म है।

फिल्म के आरम्भ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र का एक परिवार राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत होकर 15 अगस्त के दिन एक विद्यालय में तिरंगा फहराता है और **"जन गण मन"** का गायन करता है किंतु खूंखार नक्सलियों को इसका पता चल जाता है और नक्सली उस परिवार को अपनी अदालत में उठा लाते हैं जहाँ तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति के शरीर के 32 टुकड़े कर दिये जाते हैं । मारे गए व्यक्ति की पत्नी कहती है," मैं रत्ना कश्यप, मेरे पति मिलन कश्यप को नक्सलियों ने मार दिया, पूरे गांव के सामने 32 टुकड़े कर दिये और उसके खून से अपने शहीद स्तंभ को मेरे हाथों से रंगवाया। क्या गलती थी उसकी, बस यही कि उसने 15 अगस्त को अपने गांव के स्कूल में भारत का झंडा लहराया। बस्तर में भारत का झंडा लहराना एक जुर्म है जिसकी सजा दर्दनाक मौत है।" मेरे बेटे को भी उठाकर ले गये उसे भी नक्सली बनाएंगे। हर परिवार से एक बच्चा उनको देना पड़ता है नहीं देते तो पूरे परिवार को मार देते हैं।अरे हम बस्तर की मांएं करें तो करें क्या, मैं मेरे पति का बदला और अपने बेटे को वापस लाने के लिए जिंदा हूं। "मैने हथियार उठा लिए हैं बस्तर से इन नक्सलियों को समाप्त करके रहूंगी।" यही फिल्म की पार्श्वभूमि है ।

नक्सलवाद के कड़वे सत्य को उजागर करती फिल्म

आगे बढ़ते हुए फिल्म बताती है कि किस प्रकार नक्सली देश को कम से कम 30 टुकड़ों में बांटने का खतरनाक षड़यंत्र रचते रहते हैं, भारत के मजबूत लोकतंत्र को कमजोर दिखाने के लिए वामपंथी तत्व किस प्रकार अपना नैरेटिव चलाते हैं और इस भारत विरोधी अभियान के लिए विदेशी फंडिंग आती है । इनकी घुसपैठ देश के सामाजिक व राजनैतिक ताने–बाने को प्रभावित करने वाली सभी संस्थाओं यथा विश्वविद्यालयों ,न्यायपालिका व मीडिया जगत में है। निहित स्वार्थों की पूर्ति करने व छत्तीसगढ़ की अकूत सम्पदा पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग नक्सली हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे और बस्तर के गांवों में विकास नहीं हो पा रहा था। सरकारी पक्ष के वकीलों के पास तमाम सबूत होने के बाद भी कोर्ट वामपंथ के वकील के पक्ष में

अपना फैसला सुनाती है और सरकारों की विकृत राजनीति व मनोदशा के कारण नक्सलवाद की हिंसा से प्रभावित पीड़ितों पर हुए भीषणतम अत्याचारों की घटनाओं की जांच के बजाए कोर्ट आईपीएस अधिकारी नीरजा माधवन (अदा शर्मा)के खिलाफ ही न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिया जाता है।

लगभग 124 मिनट लंबी फिल्म में नाक्साली हिंसा के दिल दहलाने वाले क्रूर दृश्य हैं जिसके कारण फिल्म को “ए” सार्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म की नायिका अदा शर्मा ने आईपीएस अधिकारी नीरजा माधवन के रूप में अत्यंत सशक्त अभिनय किया है जो भारत को हर प्रकार के नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए दृढ़संकल्पित हैं। फिल्म ”बस्तर” में की महिला सिर्फ एक “मां” या फिर पत्नी नहीं है वह एक ऐसी योद्धा है जिसके युद्ध का तात्पर्य है अमानवीय क्रूरता का सामना करना।

फिल्म का प्रत्येक दृष्य व कहानी वास्तविक घटनाओं तथा तथ्यों से प्रेरित है। फिल्म मानवता को झकझोरने, आम जनमानस को नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा करने तथा राष्ट्र के समक्ष वामपंथ की विकृत विचाराधारा का खुलासा करने में समर्थ है। बस्तर में नक्सली हिंसा की सबसे अधिक शिकार महिलाएं हुयी हैं। नक्सली आतंक स्त्रियों के लिए आईएसआईएस और बोको हरम जितने ही खतरनाक हैं। फिल्म में बस्तर में सीआरपीएफ के 76 जवानों की निर्मम हत्या की घटना और उसके पश्चात जेएनयू जैसे विश्व विद्यालयों में माने गए जश्न को भी शामिल किया गया है। नक्सलियों के आतंक के खात्मे लिए आईपीएस नीरजा माधवन (अदा शर्मा) पूरी ताकत से लड़ रही है। फिल्म के अंत में नीरजा माधवन के संवाद बहुत ही सशक्त और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। फिल्म के सभी किरदारों ने सशक्त अभिनय किया है, फिल्म की गति इसे कभी उबाऊ नहीं होने देती। नायिका अदा शर्मा के अतिरिक्त वामपंथी वकीलों की भूमिका में राम्या सेन ,अंगसा बिश्वास और रत्ना की भूमिका में इंदिरा तिवारी छाप छोड़ती हैं। फिल्म का गीत वंद वीरम दिल को छू रहा है। निर्देशक सुदीप्तो सेन का कहना है कि यह फिल्म दस वर्षे के गहन शोध का परिणाम है। सुदीप्तो ने माओवादी संघर्ष को काफी नजदीक से देखा है। उनका कहना हे कि माओवादी संघर्ष 1957 से प्रारम्भ हुआ और अब तक अकेले बस्तर जिले में ही 17 हजार पुलिस जवान हीशद हो चुके हैं। यह फिल्म वामपंथ की उग्र विचारधारा की असलियत जनमानस के सामने खोल रही है जिसके कारण वामपंथी विचारधारा वाले लोग निर्माता निर्देशक की आलोचना कर रहे हैं। देश की एक बड़ी समस्या नक्सलवाद को समझने के लिए ये फिल्म प्रत्येक भारतीय को देखनी चाहिए। वामपंथी स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करेंगे और अपने नेटवर्क के माध्यम से इसकी नकारात्मक समीक्षा कराएँगे, किन्तु अब दर्शक भी जाग चुका है और ऐसी समीक्षाओं में नहीं फंसता – द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, आर्टिकल 370 की बम्पर सफलता इसका प्रमाण है।

फिल्म का प्रत्येक दृश्य व कहानी वास्तविक घटनाओं तथा तथ्यों से प्रेरित है। फिल्म मानवता को झकझोरने, आम जनमानस को नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा करने तथा राष्ट्र के समक्ष वामपंथ की वित्त विचाराधारा का खुलासा करने में समर्थ है।

18 मार्च 1974 लोकतंत्र बचाओ स्वर्ण जयन्ती वर्ष

18 मार्च, 1974 जे.पी. आन्दोलन की बात

सुरेंद्र किशोर

जे.पी. आन्दोलन के पचास वर्ष पूरे हो रहे, स्वर्ण जयन्ती वर्ष मनाया जा रहा है। पटना सहित अनेक सीानों पर कार्यक्रम हुए। लेकिन लोकतंत्र सेनानियों के हुजूम के बाद भी यह अवसर फीका रहा। 18 मार्च, 1974 को पटना में जो कुछ हुआ,उसने मशहूर जयप्रकाश आंदोलन की नींव डाल दी थी।

छात्रों और युवकों द्वारा उस दिन शुरू किए गए आंदोलन को बाद में जेपी का नेतृत्व मिला था। समय के साथ आंदोलन लगभग पूरे देश फैला।

25 जून 1975 की रात में आपातकाल लगा। करीब सवा लाख राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता लोग विभिन्न जेलों में बंद कर दिए गए। कुछ पत्रकार भी जेल भेजे गए। अंततः 1977 के चुनाव के बाद केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बन गयी। वैसे इस राजनीतिक यात्रा की शुरूआत एक गैर राजनीतिक अभियान से 18 मार्च, 1974 को हुई थी। उस दिन को याद करना अपने आप में एक अनुभव है।

(मैं नई दिल्ली से प्रकाशित साप्ताहिक 'प्रतिपक्ष' के संवाददाता के रूप में उस दिन का प्रत्यक्षदर्शी गवाह रहा।) बिहार के छात्रों और युवकों ने भ्रष्टाचार ,महंगाई, बेरोजगारी और गलत शिक्षा नीति के खिलाफ 18 मार्च 1974 को जोदार आंदोलन शुरू किया ।

उस दिन अपनी मांगों के समर्थन में राज्य भर से पटना आए छात्रों–युवकों ने बिहार विधान मंडल भवन का घेराव किया। उस दिन विधान मंडल के सत्र की शुरूआत होने वाली थी। राज्यपाल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले थे। आंदोलनकारियों की योजना थी कि राज्यपाल को विधान मंडल भवन में प्रवेश ही न करने दिया जाए।

प्रस्तावित घेराव की जानकारी चूंकि लोगों को पहले से ही थी, इसलिए सत्ताधारी विधायक सुबह छह बजे ही विधान मंडल भवन में प्रवेश कर गए थे।विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार का निर्णय कर लिया था।इसलिए वे वहां गए ही नहीं।

उधर प्रशासन भी राज्यपाल आर.डी.भंडारे को किसी भी कीमत पर विधान मंडल भवन पहुंचाने पर अमादा था। राज्यपाल की गाड़ी को आगे बढ़ाने के क्रम में पुलिस ने छात्रों–युवकों पर निर्ममतापूर्वक लाठियां चलाईं। तब छात्रों और युवकों का नेतृत्व करने वालों में पटना विश्व विद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव,शिवानंद

तिवारी,वशिष्ठ नारायण सिंह,नरेंद्र कुमार सिंह,राम जतन सिंहा,सुशील कुमार मोदी,रवि शंकर प्रसाद और कृपानाथ पाठक आदि प्रमुख थे। इनमें से कई लोगों को चोटें आईं। पुलिस द्वारा निर्मम प्रहार से भीड़ में उत्तेजना फैल गयी। भीड़ बेकाबू हो गयी।भीड़ किसी नेता के कंट्रोल में नहीं रही। भीड़ में अराजक तत्व भी घुस गए थे। उस अवसर पर घटनास्थल पर मौजूद इन पंक्तियों के लेखक ने देखा कि दोनों तरफ से प्रहार–प्रति प्रहार होने लगे।अश्रु गैस के गोलों के कारण पूरा इलाका तीखे धुएं से भर गया था।

थोड़ी देर के बाद पटना में भीड़ लूटपाट,तोड़फोड़ और आगजनी करने लगी। उन्हें रोकने के लिए कोई छात्र या युवा नेता कहीं आसपास नहीं था। किसी के रोकने से वे रुकने वाले भी नहीं थे। पुलिस बल भी अपर्याप्त साबित हुआ। अनियंत्रित भीड़ ने जहां–तहां प्रमुख संस्थानों में आग लगा दी।

यहां तक कि दैनिक अखबार सर्चलाइट – प्रदीप की बिल्डिंग में भी आग लगा दी गयी।

भीड़ इंडियन नेशन –आर्यावत्र्त में भी आग लगाने फ्रेजर रोड पर गयी, पर वहां के कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाई और उन्हें खदेड़ दिया। बाद में प्रबंधन ने उन कर्मचारियों को इनाम भी दिया।

एक कांग्रेसी मंत्री के सुजाता होटल में भी आग लगाई गयी। जाहिर है कि यह सब उन आंदोलनकारियों का काम नहीं था जिन्होंने घेराव का आयोजन किया था।

दोपहर होते–होते पटना नगर को सेना के हवाले कर दिया गया। उधर विधान सभा के सचिव विश्वनाथ मिश्र के सरकारी आवास में भीड़ द्वारा आग लगा देने की खबर जब विधान सभा सचिवालय पहुंची तो सचिवालय के कर्मचारी भी उत्तेजित हो गए। उन लोगों ने मंत्रियों और विधायकों पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। मुख्य मंत्री अब्दुल गफूर और कुछ मंत्रियों ने छिप कर खुद को बचाया।उनके अंगरक्षकों को अपनी रिवाल्वर निकालनी पड़ी थी।

- 18 मार्च 1974 को पटना में छात्र आंदोलन की शुरूआत
- जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन
- आंदोलन से बिहार और देश की राजनीति प्रभावित
- करीब एक साल तक चला आंदोलन
- 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में आपातकाल

इस आंदोलन के हिंसक हो जाने पर जयप्रकाश नारायण ने यह बयान दिया कि **"हिंसा और आगजनी से क्रांति नहीं हो सकती।"** अपने आंदोलन की दुर्दशा देखकर कुछ छात्रों और युवकों ने जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की। उनसे आग्रह किया कि अब वे आंदोलन का नेतृत्व करें। जेपी ने एक शत्र्त पर नेतृत्व देना स्वीकार किया। उनकी शर्त यह थी कि आंदोलन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। छात्र– युवक शत्र्त मान गए।

आंदोलन जब आगे बढ़ा तो जेपी ने बिहार विधान सभा के सदस्यों से सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने की अपील की।अधिकतर प्रतिपक्षी सदस्यों ने तो इस्तीफा दे दिया,पर कांग्रेस सदस्यों द्वारा इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता था। इस्तीफे की मांग के समर्थन में आंदोलनकारियों ने विधान मंडल भवन के घेराव का कार्यक्रम शुरू किया। आंदोलन आगे बढ़ा आंदोलन के दौरान कई महत्वपूर्ण पड़ाव आए।कई उतार –चढ़ाव भी। आंदोलन की दृष्टि से कई नये रिकार्ड कायम हुए।

आजादी के बाद वैसा अहिंसक आंदोलन कभी नहीं हुआ जैसा जेपी के नेतृत्व में 1974–75 में हुआ था। आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने छात्रों से अपील करते हुए कहा था कि 'गांधी ने लोगों से उनका जीवन मांगा था। मैं सिर्फ एक साल मांग रहा हूं। नया बिहार बनाने के लिए विदयार्थियों से अपील करता हूं कि वे एक साल के लिए कालेज और विश्व विदयालयों को बंद रखें।' कुछ मामलों में इसका भी असर हुआ था। (पुनश्चः–यह मत पूछिएगा कि ये आंदोलनकारी जब देर–सबेर सत्ता में आए तो उनमें से अधिकतर लोगों ने जेपी के सपनों को चकनाचूर क्यों किया !)

प्रवासी भारतीय अपने जड़ों से जुड़े : भूपेन्द्र

भारतीय जनता पार्टी विदेश सम्पर्क विभाग ने प्रवासी भारतीय संवाद कार्यक्रम के तहत भाजपा प्रदेश मुख्यालय में यूएई से आए प्रवासी भारतियों का स्वागत किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी तथा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नन्दी ने 53 भारतीय प्रवासियों के दल का स्वागत तथा अभिनंदन किया। अयोध्या दर्शन अभियान के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री श्री अनूप गुप्ता उपस्थित रहे।

अध्यक्ष श्री भूपेंद्र चौधरी ने सभी रामभक्तों का अभिनंदन करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उन्नति करते हुए विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। आज देश आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आर्थिक महाशक्ति बनने को तैयार है। भाजपा भारत की आस्था, परम्परा, विरासत और अपनी संस्कृति के अनुरूप देश की व्यवस्थाओं के संचालन की पक्षधर है। देश व प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प के साथ काम किया और वैभवशाली नव निर्माण की ओर देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज विश्व में भारत के प्रति सोच बदली है। प्रवासी भारतीय विश्व में सभी जगह भारत का मान व प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य भी कर रहे है और भारत में अपनी जड़ों से भी जुड़े हुए हैं। भारतीय विश्व के विभिन्न देशों में बड़ी शक्ति के रूप में उभरे हैं।

श्री चौधरी ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि के लिए 5 सदियों का संघर्ष था। संघर्षों के बाद श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने सभी का श्रीराम जन्मभूमि रवाना करते हुए प्रभु श्रीराम लला की सब पर कृपा और विश्व मंगल की कामना की।

प्रवासी रामभक्त अयोध्या दर्शन

प्रदेश सरकार के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नन्दी ने प्रदेश सरकार की ओर से सभी प्रवासी भारतियों का अभिनंदन करते हुए प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। भाजपा विदेश विभाग के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य श्री नकुल भारद्वाज ने प्रवासी भारतियों का स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को सोशल मीडिया पर समर्थन के साथ मजबूती देने का आग्रह किया। इस दौरान प्रभारी विभाग एवं प्रकोष्ठ श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, राजेश सूर्या जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय संयोजक, डॉक्टर एसव पी तिवारी जी क्षेत्रीय संयोजक काशी क्षेत्र, राजीव शर्मा क्षेत्रीय सह संयोजक विदेश संपर्क विभाग पश्चिम क्षेत्र, रुचि शुक्ला जी विदेश विभाग के साथ श्री कल्पना तिवारी जी प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा एवं महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं की महिला टीम, डॉक्टर रणवीर लैश्रम जी, दीपक चौबे एवं अंकित जी एवं राहुल राय जी सहित विदेश विभाग के अन्य कार्यकर्त उपस्थित रहे। विदेश संपर्क विभाग प्रदेश संयोजक श्री राजराजेश्वर सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में प्रवासी भारतियों का दल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भाजपा प्रदेश विदेश संपर्क की टीम के साथ अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन हेतु रवाना हुआ ।

मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक महाशक्ति बनेगा

मीडिया कार्यशाला लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र की मीडिया कार्यशाला को अटल बिहारी बाजपेयी सांइटिफिक कन्वेशन सेंटर में सम्पन्न हुई। कार्यशाला का उद्घाटन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने किया।

प्रदेश अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मोदी सरकार एवं योगी सरकार के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण की योजनाएं, सरकार के ऐतिहासिक निर्णय तथा संगठन की विचारधारा को जन–जन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया सशक्त माध्यम है। श्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान युग डिजिटल युग है जिसमें त्वरित जानकारी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रत्येक व्यक्ति के पास उपलब्ध है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साइबर योद्धा होने के नाते आप की जिम्मेदारी है कि हम सभी भ्रामक कंटेट पर प्रतिक्रिया करने से बचे और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक तथ्यपरक जानकारी पहुंचायें। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री एवं लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक श्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में विपक्ष अपने हथकंडो के साथ सोशल मीडिया पर भ्रम, झूठ, फरेब से नकारात्मक नेरेटिव क्रिएट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम तथ्यों के आधार पर विपक्ष के झूठ को बेनकाब करने का काम करें। अबकी बार 400 पार के संकल्प के साथ जुड़े और उसकी सफलता में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भाजपा की सोशल मीडिया टीम केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचाने का काम करें। भारत में जो विकास की यात्रा प्रारम्भ हुई है, उस यात्रा को और गति देने के लिए सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म को कमलमय करने की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। प्रदेश महामंत्री श्री अनूप गुप्ता ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला में दिया गया प्रशिक्षण चुनाव के दौरान आप सबके लिए सहायक होगा। डिजिटल मीडिया का विस्तार दिन–प्रतिदिन बढ रहा है। आज सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म प्रतिदिन नए फीचर्स के साथ आ रहे है। ऐसे में सोशल मीडिया के पदाधिकारी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक अपग्रेड के लिए अपडेट रहे। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पूर्व हम विभिन्न माध्यमों से उसकी जानकारी प्राप्त करें।

प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक श्री अंकित सिंह चंदेल ने कार्यशाला में सोशल मीडिया प्लेटफार्मस का प्रजेंटेशन देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत कड़ी के रूप में सोशल मीडिया टीम को काम करना है और उत्तर प्रदेश में लक्ष्य 80 की प्राप्ति में सहायक बनना है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के आगामी कार्यक्रमों एवं अभियानों की जानकारी दी। इस दौरान प्रमुख रूप से सोशल मीडिया के प्रदेश सहसंयोजक शशिकुमार एवं गौरव वार्ष्णेय तथा प्रदेश सोशल मीडिया टीम के सदस्य श्री निखिल सिन्हा तथा श्री शुभम मिश्रा उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन सौरभ मारोदिया ने किया। इस अवसर पर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह एवं प्रदेश महामंत्री श्री अनूप गुप्ता तथा प्रदेश के सोशल मीडिया संयोजक श्री अंकित चंदेल उपस्थित रहे। कार्यशाला में क्षेत्र एवं जिलो के सोशल मीडिया के संयोजक व सहसंयोजक तथा प्रभारी सम्मिलित हुए।

'समरसता' रणनीति नहीं, निष्ठा का विषय है

नागपुर, 17 मार्च. सामाजिक समरसता यह संघ की रणनीति का हिस्सा नहीं है, वरन यह निष्ठा का विषय है. सामाजिक परिवर्तन समाज की सज्जन–शक्तियों के एकत्रीकरण और सामूहिक प्रयास से होगा. सम्पूर्ण समाज को जोड़कर सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ने का संघ का संकल्प है. यह जानकारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुनर्निर्वाचित सरकार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले जी ने आज प्रतिनिधि सभा स्थल में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. श्री दत्तात्रेय जी ने जोर देकर कहा कि रामलला की प्राण–प्रतिष्ठा की ऐतिहासिक घटना से समाज की सक्रिय भागीदारी का व्यापक अनुभव सबने किया है।

नागपुर में चल रही त्रि–दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय होसबाले जी का सर्वसम्मति से अगले तीन वर्ष (2024– 2027) के लिए सरकार्यवाह के रूप में निर्वाचन हुआ. आज प्रतिनिधि सभा स्थल के महर्षि दयानंद सरस्वती परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर जी ने उनके निर्वाचन की जानकारी देकर उनका अभिनंदन किया. प्रेस वार्ता में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार्यवाह जी ने कहा कि चुनाव देश के लोकतंत्र का महापर्व है. देश में लोकतंत्र और एकता को अधिक मजबूत करना और प्रगति की गति को बनाए रखना आवश्यक है. संघ के स्वयंसेवक सौ प्रतिशत मतदान के लिए समाज में जन–जागरण करेंगे. समाज में इसके संदर्भ में कोई भी वैमनस्य, अलगाव, बिखराव या एकता के विपरीत कोई बात न हो. इसके प्रति समाज जागृत रहे।

उन्होंने कहा कि संघ का कार्य देशव्यापी राष्ट्रीय अभियान है. हम सब एक समाज, एक राष्ट्र के लोग हैं. आगामी 2025 विजयादशमी से पूर्ण नगर, पूर्ण मंडल तथा पूर्ण खण्डों में दैनिक शाखा तथा साप्ताहिक मिलन का लक्ष्य पूरा होगा. संघ के कार्य का प्रभाव आज समाज में दिख भी रहा है. संघ के प्रति समाज की इस आत्मीयता के चलते उसके प्रति धन्यता व कृतज्ञता का भाव है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सपूर्ण समाज संगठित हो, यही संघ का स्वप्न है. पर्यावरण की रक्षा, सामाजिक समरसता – ये किसी एक संगठन का अभियान नहीं, वरन पूरे समाज का है. देश में अनेक छोटे गांवों में ऊँच–नीच और छुआछूत दिखाई देती है. शहरों में इसका प्रभाव बहुत कम है. गांव के तालाब, मन्दिर और श्मशान को लेकर समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि सन्देशखाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पीड़ित महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल ने भारत के राष्ट्रपति से निवेदन किया है. संघ के सभी कार्यकर्ता व प्रेरित संगठन हर स्तर पर सक्रिय रूप से उनके साथ खड़े हैं।

अल्पसंख्यक मुद्दे पर सरकार्यवाह ने कहा कि हम माइनॉयरिटिज्म पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं. द्वितीय सरसंघचालक श्रीगुरुजी के काल से लेकर अब तक के सभी सरसंघचालकों ने मुस्लिम और ईसाई नेताओं से संवाद कर समन्वय बनाने का काम किया है।

पिछले दिनों मणिपुर में जो सामाजिक संघर्ष हुए, वह बहुत ही पीड़ादायक है. यह घाव बहुत गहरे हैं. कुकी और मैतेयी समुदाय में संघ का काम होने से हमने दोनों समुदायों के नेताओं से संवाद कर परिस्थिति को सामान्य करने के प्रयत्न किये, जिसमें सफलता भी मिली।

छह सह सरकार्यवाहों की नियुक्ति

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नई कार्यकारिणी में माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी ने 2024–27 के कार्यकाल हेतु छह सह सरकार्यवाह नियुक्त किए।

1. श्री कृष्ण गोपाल जी
2. श्री मुकुंद जी
3. श्री अरुण कुमार जी
4. श्री रामदत्त चक्रधर जी
5. श्री अतुल लिमये जी
6. श्री आलोक कुमार जी

प्रदेश चुनाव प्रबन्धन समिति बैठक, लखनऊ

बूथ अध्यक्ष बैठक, उन्नाव

पन्ना प्रमुख बैठक, उन्नाव

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91, शीर्षक कोडः UPHIN16701, डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2022-23
मार्च द्वितीय 2024 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित।